



## अध्याय VIII

### प्रशासन और वित्त

#### (क) प्रशासन

- 8.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासन विंग में स्थापना अनुभाग ओ एंड एम अनुभाग और रोकड़ अनुभाग शामिल हैं। प्रशासनिक विंग को इस मंत्रालय के 997 कर्मचारियों (ग्रुप ए,बी,सी और डी) के सेवा और प्रशासनिक मामलें, हाऊस-कीपिंग और वेतन आहरण और संवितरण एवं अन्य व्ययों का कार्य सौंपा गया है। विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाने का प्रयास किया जाता है।
- 8.2 मंत्रालय द्वारा अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में इस मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तकनीकी और गैर-तकनीकी पक्ष (ग्रुपवार) के लिए पृथक-पृथक सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और इस मंत्रालय में अनु.जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना परिशिष्ट 7 में दी गई है।
- 8.3 सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन पेपर वेतन और लेखा अधिकारी के समक्ष समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के अंतिम कार्य दिवस को प्रदान किए जाते हैं।
- 8.4 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में एक वेलफेयर सैल मौजूद है जो मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण उपाय संबंधी सभी कार्यकलाप करता है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की विदाई के लिए मंत्रालय का वेलफेयर सैल एक विदाई पार्टी आयोजित करता है और उन्हें एक स्मारक चिन्ह (मिमेंटो), और एक उपहार भी भेंट किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में मंत्रालय की महिला कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं।
- 8.5 राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण दिवस अर्थात् आतंकवाद-रोधी दिवस, साम्प्रदायिक सद्भाव दिवस, सद्भावना दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, रैडक्रॉस दिवस, रैडक्रास रेफल ड्रा आदि मनाए गए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। 'झंडा दिवस' के संबंध में



अंशदान भी एकत्रित और संग्रहीत किया गया । साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह / सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं । इन अवसरों में भाग लेने वालों को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

### सूचना और सुविधा केन्द्र की स्थापना

- 8.6 मंत्रालय में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के साथ-साथ विभाग द्वारा कार्यान्वित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है । इस काउंटर पर विभिन्न विषयों पर आम जनता के लिए उपयोगी सामग्री रखी गई है । जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को विचारार्थ और निपटान हेतु भेज दिया जाता है ।

### नागरिक चार्टर की संरचना

- 8.7 मंत्रालय के कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिक चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है ।

### विभागीय रिकार्ड रूम

- 8.8 मंत्रालय द्वारा अभिलेखों के प्रबंधन की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है । 25 वर्ष से अधिक पुराने सभी अभिलेखों को स्थायी रूप से संभाले जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेज दिया जाता है । 1 अप्रैल, 2013 से लेकर 31 मार्च, 2014 तक के दौरान, 1937 फाइलें रिकार्ड की गईं और अभिलेख धारण समय-तालिका के अनुसार 1163 फाइलों की समीक्षा की गई और उन्हें नष्ट किया गया ।

### शिकायत निवारण और सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.

- 8.9 मंत्रालय में, संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है । उन्हें लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है । प्राप्त लोक शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को भेज दिया जाता है । एक वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात् लोक शिकायत निवारण और मनीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएमएस) भी इस मंत्रालय में कार्य कर रही है । 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान कुल 1042 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी मामले, त्वरित निपटान के लिए विभिन्न संबंधित एजेंसियों को पहले ही भेज दिए गए हैं । इसमें बीआरडीबी, बीआरओ, एनएचएआई, आईएचई, आरटी विंग और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं । लंबित अधिकतर मामले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित हैं । कुल 2552 शिकायतों (अग्रेषित



मामलों सहित) में से 1038 विलंबित मामलों का निपटान कर दिया गया है ।

मंत्रालय में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है । शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जियां प्राप्त करने के लिए निदेशक, संबंधित प्रशासन अनुभाग के प्रभारी, उप सचिव (प्रशासन) को स्टाफ शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में शिकायतों की सुनवाई के लिए पदनामित किया गया है । इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (प्रशासन) भी लोक सुनवाई के लिए उपलब्ध रहते हैं ।

### ई-ऑफिस

- 8.10 मंत्रालय के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भी ई-ऑफिस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है तथा इस संबंध में अपेक्षित निधियां आबंटित कर दी गई हैं और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) की सहायता/समर्थन से ई-ऑफिस कार्यान्वित किया जा रहा है । ई-ऑफिस पद्धति में परिवर्तन हेतु 2 इकाइयां अर्थात् ओएंडएम अनुभाग, ऑडिट पैरा को अभिनिर्धारित किया गया है । संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दृष्टांत से इंटरनेट प्रोटोकॉल पीवी-4 मोड से आईपीवी-6 मोड में स्थानांतरित किए जाने जैसी महत्वपूर्ण आईटी पहल को भी अपनाया जा रहा है ।

### शिकायत एवं नागरिक चार्टर सेल

- 8.11 शिकायत मामलों के त्वरित और शीघ्र निपटान के लिए ओएंडएम अनुभाग के तौर पर शिकायत एवं नागरिक चार्टर सेल कार्य कर रहा है । मंत्रालय में शिकायत प्रकोष्ठ, प्रशासनिक और जन शिकायत सुधार विभाग, डीपीजी, राष्ट्रपति सचिवालय, पीएमओ द्वारा भेजी गई सभी शिकायतों और अन्य स्थानीय शिकायतों को निपटाए जाने से संबंधित है ।

### (ख) वित्त

#### 8.12 लेखांकन और बजट

- 8.12.1 सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख हैं और वे मंत्रालय के लिए मुख्य लेखांकन अधिकारी हैं और वह अपने कार्यों का निर्वहन, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से करते हैं । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लेखा और बजट पक्ष, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं । प्रधान मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेकन, निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है । प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय



को बजट, केन्द्रीय लेन-देनों का विवरण, वित्तीय लेखों एवं विनियोजन लेखों को तैयार करने, वित्तीय और लेखांकन मामलों पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने और रोकड़ प्रबंधन करने, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है ।

8.12.2 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, एक लेखा नियंत्रक, दो उप-लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक शामिल हैं । बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) हैं । इस कार्यालय में मंत्रालय के लिए एक प्रधान लेखा अधिकारी, प्रशासन एवं स्थापना के लिए एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी और उप-लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता वाले आंतरिक लेखापरीक्षा पक्ष के लिए एक वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं । मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में ग्यारह भुगतान एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बंगलौर, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित हैं । हाल ही में प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया लागू करने के लिए भोपाल और हैदराबाद में भी दो नए क्षेत्रीय भुगतान कार्यालय स्थापित किए गए हैं ।

8.12.3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय और देश में फैले इसके कार्यालयों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा इस प्रकार है :—

### भुगतान

- अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुत किए गए बिलों की पहले ही जांच करने के बाद मंत्रालय की ओर से भुगतान करना ।
- अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सोसाइटियों, एसोसिएशनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को भुगतान करना ।
- मंत्रालय की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्राधिकार प्रदान करना ।

### प्राप्तियां

- मंत्रालय की प्राप्तियों को स्वीकार करना, बजट बनाना और लेखांकन करना ।
- राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त ऋण और उस पर ब्याज की वापसी की मॉनिटरिंग करना ।
- नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्तियां और भुगतान ।



## लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक लेखे, केन्द्रीय लेन-देन का विवरण, वित्तीय लेखों का विवरण, शीर्ष-वार तथा चरण-वार विनियोजन लेखों को तैयार करना और उन्हें लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग तथा महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व को प्रस्तुत करना ।
- कार्य निष्पादन बजट सहित वार्षिक बजट तैयार करना और वित्त वर्ष के दौरान बजट प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करना ।
- आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की मॉनीटरिंग करना और इसे सीएजी कार्यालय को प्रस्तुत करना ।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम और नियमावली के अनुसार अनिवार्य सूचना की निगरानी करना और उसे प्रस्तुत करना ।
- विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डाटा पर आधारित प्रबंधन सूचना रिपोर्टों को तैयार करना ।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवतियों और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना ।
- बजट आधारित मासिक व्यय/साप्ताहिक व्यय तैयार करना और विभिन्न प्राधिकारियों जैसे कि अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सचिव आदि को व्यय की मॉनीटरिंग के लिए प्रस्तुत करना ।
- मंत्रालय को भेजने के लिए वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री तैयार करना, लेखों पर एक नजर और व्यय के प्लेश आंकड़े तैयार करना और उनको सीजीए को भेजना तथा अनंतिम लेखों को तैयार करना और उनको मंत्रालय को भेजना ।
- पीएओ/आरपीओ से प्राप्त एमआईएस के आधार पर मासिक डीओ तैयार करना और सीजीए को भेजना ।

### 8.13 बजट

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों के वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित



प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा धनराशि का पुनर्विनियोजन करना तथा बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय करना ।

- वास्तविक व्यय को समाविष्ट करके वार्षिक अनुदान मांगों का पुनरीक्षण करना ।
- सीएण्डएजी ऑफ इंडिया (सिविल एण्ड कॉमर्शियल) के सभी लेखा परीक्षा पैरा और टिप्पणियों की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट' / बचत संबंधी व्याख्यात्मक नोट के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करना तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के चयनित अनुदानों की समीक्षा और एटीएन नोट भी तैयार करना ।
- समीक्षा प्राप्तियों, ब्याज प्राप्तियों और लोक लेखों के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना ।

### आंतरिक लेखा परीक्षा

8.14 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान सीसीए संगठन में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यकरण में सुसंगत अशुद्धियों/चूकों की पहचान करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई/सुधार के लिए प्रबंधन को सलाह देने के लिए एक प्रभावी यंत्र के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग स्थापित की गई है । यह विंग दैनंदिन कार्यकलाप में विषयनिष्ठता और वित्तीय औचित्य और वित्तीय समझदारी में अति संवेदनशीलता लाने के लिए एक बड़े प्रबंधन यंत्र के रूप में सिद्ध हुआ है ।

आंतरिक लेखा परीक्षा विंगके अधिकारियों तथा अन्य अनुभागों में तैनात अधिकारियों को विगत में आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं । इस वर्ष जोखिम आधारित लेखा परीक्षा में तीन ए.ए.ओ. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

प्रधान सी.सी.ए. संगठन द्वारा विगत कुछ वर्षों के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र के प्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लगभग सभी कार्यालयों में लेखा अनुरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । प्रमुख अनियमितताओं/कमियों वाले लेखा परीक्षा के पैरा विभागाध्यक्ष के नोटिस में लाए जाते हैं और पैराओं के निपटान के लिए मामलों को उठाया जाता है तथा बकाया पैराओं के निपटान के लिए प्रधान सी.सी.ए. कार्यालय द्वारा समीक्षा बैठकों की भी व्यवस्था की जाती है ।

वर्ष के दौरान एन.एच. प्रभाग की 67 यूनिटों और मंत्रालय के 21 पी.ए.ओ./ आर.पी.ए.ओ. की लेखा परीक्षा की गई है ।

- मंत्रालय के सभी पक्षों के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के



निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करने वाले राज्य सरकारों के लोक निर्माण प्रभागों (राष्ट्रीय राजमार्ग) और मंत्रालय की इकाईयों के लेखाकरण की परीक्षण जांच करना ।

- लोक लेखा समिति और अन्य संसदीय समितियों के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी लेखापरीक्षा पैराओं और समुक्तियों की मॉनीटरिंग और निपटान ।
- मंत्रालय के सभी पक्षों में आंतरिक कार्य अध्ययन करना और वित्त मंत्रालय की 'स्टाफ निरीक्षण इकाई' के साथ समन्वय करना ।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा तैयार करना ।

### लेखों का कंप्यूटरीकरण

- 8.15.1 इन कार्यों को करने के लिए अनेक नई पहलें की गई हैं जिनसे मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समग्र कारगरता और दक्षता में बहुत अधिक सहायता मिली है । लेखों के संकलन में होने वाले विलंब को दूर करने और व्यय लेखों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए इस समय कॉम्पेक्ट, कांटेक्ट, ई-लेखा आदि जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेजों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।
- 8.15.2 कंप्यूटरीकृत लेखाकरण (कॉम्पेक्ट) : व्यय लेखों के लिए यह एक व्यापक पैकेज है जिसमें प्री-चेक, जीपीएफ, बजट, पेंशन, संकलन और नई पेंशन योजना जैसे मुख्य लेखांकन कार्य सहित सभी मुख्य लेखांकन प्रकार्य शामिल हैं और इस सॉफ्टवेयर को सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों / क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में सफलता पूर्वक लागू किया गया । इससे न केवल अति कुशल भुगतान प्रणाली तैयार होने और लेखा तैयार करने में समय पालन की स्थिति बनी है अपितु सम्पूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता भी आई है ।
- 8.15.3 कांटेक्ट: मासिक लेखों के संकलन के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रधान लेखा कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है । प्रत्येक महीने, विभिन्न अनुदानों की प्राप्तियों और व्यय की विस्तृत समीक्षा तैयार की जाती है और सीजीए कार्यालय को भेजी जाती है और व्यय विवरण, मंत्रालय के अवर सचिव (बजट), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और सचिव को भेजा जाता है । इसमें व्यय का मुख्य-शीर्षवार, प्रयोजन शीर्षवार और स्कीमवार पैटर्न, विभिन्न गैर कर राजस्व मदों का शीर्ष वार प्राक्कलन और प्राप्तियां, पूर्व वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना और लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति आदि शामिल होती है ।
- 8.15.4 ई-लेखा : यह वेब आधारित एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा व्यय लेखांकन सूचना का दैनिक / मासिक



एमआईएस तैयार किया जाता है । सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को वेब आधारित लेखा पोर्टल, ई-लेखा से पूर्णतः एकीकृत कर दिया गया है । उनको अपना दैनिक लेन-देन इस पोर्टल पर अपलोड करना होता है ताकि व्यय और प्राप्तियों की तारीख दैनिक आधार पर उपलब्ध रहे । इससे व्यय और प्राप्ति पर वास्तविक समयाधारित-डाटा उपलब्ध हो जाता है जो व्यय/प्राप्तियों की प्रभावी मॉनीटरिंग और बजटीय नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है । इस पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली से सृजित रिपोर्टें, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय टूल हैं और इनका उपयोग, मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है ।

#### 8.15.5 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ई-भुगतान का कार्यान्वयन

वेतन और लेखा कार्यालय, भारत सरकार में ई-शासन के लिए एक मुख्य पहल के रूप में 31.3.2012 तक भारत के सिविल मंत्रालयों के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित किए जाने के लिए ई-भुगतान विधि की योजना बनाई गई थी । ई-भुगतान के नए युग में, ग्राहक/बैंक को चैक/ड्रफ्ट जारी किए जाने के स्थान पर पी.ए.ओ. बैंकों को वास्तविक प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गवर्मेंट ई-पेमेंट गेटवे (जीईजीपी) के माध्यम से संबंधित ग्राहक को ऑन लाइन भुगतान करने के लिए सलाह एडवाइस देंगे । ऑनलाइन भुगतान की (एडवाइस) प्राप्त होने पर बैंक भुगतान को संसाधित करेंगे और ग्राहक के खाते में संगत भुगतान को सीधे ही ऑन लाइन जमा कर देंगे । इस नई पद्धति के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक के लेखे में भुगतान की संपुष्टि, ग्राहक के लाभ के लिए लेन-देन के ब्यौरे सहित एसएमएस अथवा ई-मेल के द्वारा संपुष्टि/संसूचित कर दी गई है । उचित संसाधन के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है । जिसमें बैंक नित्य ई-स्काल अपलोड करेगा और पीएओ, उसे डाउनलोड करेगा और पद्धति में ही आवश्यक आनलाइन पुनः समाधान करेगा । ई-भुगतान पद्धति तो को जून, 2012 से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सभी पीएओ/आरपीएओ में कार्यान्वित कर दिया गया है ।

#### पेंशन/परिवार पेंशन का ई-संशोधन

8.15.6 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) के साथ परामर्श करके 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए भारत सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन को आन लाइन संशोधित करने की पहल की है । इसके पश्चात् सीपीएओ के दिशा निर्देश और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के अनुवीक्षण के अंतर्गत सभी सिविल मंत्रालय, एनआईसी के साथ परामर्श करके सीपीएओ द्वारा तैयार किए गए वेब पोर्टल पर पेंशन भोगियों की पेंशन ऑन लाइन संशोधित कर रहे हैं ।

इस संशोधन कार्य के लिए प्रधान सीसीए कार्यालय इस मंत्रालय में नोडल कार्यालय है और देश के विभिन्न



भागों में स्थित सभी वेतन और लेखा कार्यालय इन पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधित कर रहे हैं। 1990 और 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन के लिए अपेक्षित 1073 मामलों में से अधिकतम मामलों को निपटा दिया गया है और संशोधित प्राधिकार जारी कर दिए गए हैं।

### केंद्रीय योजना अनुवीक्षण पद्धति

8.16.1 वर्ष 2008-09 में माननीय वित्त मंत्री ने योजना स्कीम प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी विभिन्न स्कीम प्रबंधकों को व्यापक निर्णय सहायता और प्रबंधन सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय योजना अनुवीक्षण पद्धति (सीपीएमएस) स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। तभी से चयनित योजना और गैर-योजना स्कीमों के अंतर्गत लाभ भोगियों को प्रत्यक्ष भुगतान शामिल करने के लिए सी.पी.एस.एम.एस. के कार्यक्षेत्र को बढ़ा किया गया है। सी.पी.एस.एम.एस. योजना आयोग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम हैं जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ मिलकर लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम ने भारत सरकार की योजना स्कीमों के लिए साझा लेन-देन आधारित-ऑन लाइन विधि प्रबंधन और भुगतान पद्धति तथा एमआईएस स्थापित किया है। योजना के प्रभावी भुगतानों के लिए यह मंच अब राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है।

8.16.2 सी.पी.एस.एम.एस. के उद्देश्य

- सक्षम निधि प्रबंधन पद्धति स्थापित करना
- प्रभावी व्यय सूचना नेटवर्क स्थापित करना
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार
- सार्वजनिक प्रकटीकरण

### कार्यान्वयन कार्यनीति

8.16.3 इस स्कीम का कार्यान्वयन लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा विकसित और लगाई गई वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। जिससे कम्पैक्ट और ई-लेखा तथा बैंकिंग प्रणाली द्वारा विकसित इंटरफेस जैसी सुस्थापित लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग एप्लीकेशन का लाभ प्राप्त हुआ है। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षित है कि वे बैंक लेखा ब्यौरे के साथ सी.पी.एस.एम.एस. पर भारत सरकार से प्राप्त अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसियों/वैयक्तिक लाभभोगियों का ब्योरा दर्ज करें। सेंक्शन आईडी पोर्टलैंड पर सृजित की जाती है, संस्वीकृति आदेश तैयार किए जाते हैं, आहरण और वितरण अधिकारी



बिल संख्या डालते हैं और आदाता एजेंसी सेंक्शन आईडी के संबंध में भुगतान ब्यौरा दर्ज करता है । भुगतान ब्यौरा एक वास्तविक सेंक्शन आईडी विधि केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों में पूरी तरह से सक्रिय है जिससे भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधि प्राप्तकर्ताओं सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और वैयक्तिक लाभभोगियों का व्यापक ब्यौरा सृजित हो जाता है । सी.पी.एस.एम.एस. 90 बैंकों (26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 59 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 5 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ सुरक्षित समाकलन के माध्यम से निधि प्रबंधन और ई-भुगतान में सहायता करता है । सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में पहली बार सी.पी.एस.एम.एस. लेन देन आधारित, सुदृढ़, विश्वसनीय और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सूचना पद्धति (एफएमआईएस) के सृजन को प्रोत्साहित करता है । अन्य एमआईएस एप्लीकेशनों से भिन्न, जहां वित्तीय एमआईएस कार्योंत्तर डाटा फीडिंग पर निर्भर करता है, सी.पी.एस.एम.एस. में निधि उपयोग डाटा का कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए बैंकिंग लेन देनों के साथ परस्पर सह संबंध है । अतः सिस्टम से उपलब्ध, एफएमआईएस, वास्तविक समय आधार पर वित्तीय लेन देनों संबंधी बैंक समाधित डाटा होता है ।

### उपलब्धियां

- 8.16.4 केंद्रीय सरकारी योजना निधियों की सभी प्रथम स्तर की प्राप्तकर्ता एजेंसिया, उनके बैंक लेखा ब्यौरे सहित सिस्टम में दर्ज हैं । फलस्वरूप भू-भागीय वितरण के अनुरूप स्कीमवार, एजेंसीवार, क्षेत्रवार निधियों की रिपोर्टें वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध होती है । लगभग 9,50,000 से अधिक कार्यान्वयन एजेंसिया सी.पी.एस.एम.एस. पोर्टल पर पहले ही दर्ज हैं । लगभग 3000 एजेंसियां इस सिस्टम पर प्रतिदिन स्वयं को दर्ज करा रही हैं । ये एजेंसियां सी.पी.एस.एम.एस. एप्लीकेशन का इस्तेमाल उन लेनदेनों के लिए उन लाभभोगियों को निधि अंतरित और ई-भुगतान, करने के लिए कर रही हैं जिनके बैंक-शाखाओं अथवा डाकघरों में खाते हैं । सी.पी.एस.एम.एस. केंद्र सरकार स्तर पर पूरी तरह कार्यान्वित की गई है और सिविल मंत्रालयों/केंद्रीय सरकार के विभागों से जारी योजना स्कीम, एक अद्वितीय सेंक्शन आईडी के साथ सी.पी.एस.एम.एस. के माध्यम से आवश्यक रूप से भेजी जाती है । सी.पी.एस.एम.एस. के प्रधान प्रयोक्ताओं में शामिल हैं— योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सभी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, कार्यक्रम प्रबंधक, बैंक और गैर-सरकारी संगठन जो केंद्र सरकार से निर्णय प्राप्त करते हैं । सी.पी.एस.एम.एस. (लाभभोगियों के खातों में सीधे अंतरण) के माध्यम से ई-भुगतान का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एम जी एन आर ई एस के अंतर्गत बिहार में किया जा रहा है जिसमें 40,000 से ज्यादा लाभभोगी और 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि शामिल है । ई-भुगतान को शीघ्र ही एनआरएचएम, एसएसए और मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत ओडिशा में भी प्रारम्भ किए जाने की आशा है । विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने समाज कल्याण लाभों का वितरण करने के लिए सी.पी.एस.एम.एस. एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में रुचि प्रकट की है । सी.पी.एस.एम.एस., एनपीसीआई के साथ सम्बद्ध है और उसने तमिलनाडु राज्य के पुदुच्चेरी जिले में जनानी सुरक्षा



योजना के अंतर्गत प्रथम आधार आधारित भुगतान सफलतापूर्वक किया है। राज्य कोषागारों के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधि की सूचना प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र कोषागार के साथ एक इंटरफेस को पहले ही प्रचालनात्मक बना दिया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और ओडिशा के कोषागारों के साथ इंटरफेस भी तैयार किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2012-13 के बजट भाषण में भारत सरकार से जारी सभी निधियों का ब्यौरा रखे जाने के लिए सी.पी.एस.एम.एस. के विस्तार की घोषणा की है। इसी अधिदेश की तर्ज पर, इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम को अनेक स्कीमों में विस्तारित किया जाएगा। एक समर्पित सावर्जनिक सूचना पोर्टल के माध्यम से संगत आंकड़ों का सार्वजनिक प्रकटीकरण किए जाने की भी तैयारी है।

#### 8.17 बकाया की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां (एटीएन)

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के संदर्भ में सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षण समिति (एसएजी), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुरूप लेखा परीक्षा रिपोर्टों/पैराओं और लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्टों/पैराओं के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करती है।

2. 1.4.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि के दौरान स्थायी लेखा परीक्षण समिति की 4.4.2013, 15.7.2013 और 21.11.2013 को तीन बैठकें आयोजित की गई है। स्थायी लेखा परीक्षण समिति द्वारा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों/मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की प्रगति और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित लंबित लेखा परीक्षा पैराओं (वाणिज्यिक) की भी समीक्षा की गई है।
3. लोक लेखा समिति की रिपोर्टों/पैराओं के मामलों में जिनपर लोक लेखा समिति द्वारा इस मंत्रालय की टिप्पणियां/ की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां मांगी गई थी, इस प्रकार की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां भेज दी गई। इसका ब्यौरा **परिशिष्ट-8** में दर्शाया गया है।
4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित लेखा परीक्षा पैराओं (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी की गई और स्थायी लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में इसकी समीक्षा की गई और शीघ्र कार्रवाई करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सभी पक्षों/प्रभागों को अनुदेश दिए गये, जैसा कि **परिशिष्ट-8** में दर्शाया गया है।
5. उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मामलों पर लेखा परीक्षा के मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं और निरीक्षण



रिपोर्टों / पैराओं के बारे में मंत्रालय की ओर से शीघ्र उत्तर भेजने और लेखा परीक्षा के साथ निरीक्षण पैरा / डीएपी के निपटान के लिए अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में तदर्थ समिति की समय-समय पर बैठकें भी आयोजित की गईं ।

#### 8.18 अनुदान सं. 81— सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक व्यय (31 मार्च, 2014 तक) परिशिष्ट में दर्शाया गया है । विगत तीन वर्षों के लिए केंद्रीय लेनदेन विवरण के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्योरा परिशिष्ट में दर्शाया गया है और तीन वर्ष के लिए विस्तृत व्यय रसीदें परिशिष्ट में दर्शायी गई हैं । लेखाओं की प्रमुख विशिष्टताएं, परिशिष्ट में दी गई हैं ।

#### ग. सतर्कता

8.19 मंत्रालय की सतर्कता यूनिट, मंत्रालय के सतर्कता संबंधी कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है । इस यूनिट के प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । संयुक्त सचिव (एलएसीएंडपी) इस मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से की गई है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) है जिसमें पृथक रूप से एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं ।

वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई (जहां अपेक्षित है वहां केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके) करने के अतिरिक्त निवारक सतर्कता की भूमिका पर विशेष बल दिया गया । इस संबंध में (i) आटो ईंधन की खुदरा दुकानों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने और 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर निजी संपत्तियों तक पहुंच के लिए अनुरोधों को संसाधित किए जाने के लिए पूर्ववर्ती वर्ष में जारी किए गए अनुदेशों के समुचित कार्यान्वयन तथा (ii) 'पहले आओ पहले आओ' आधार पर प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत बिलों के संसाधित किए जाने के संबंध में बल दिया गया । सकारात्मक नीति के माध्यम से अनुदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रोजेक्ट जोन का प्रबल रूप से अनुपालन किया जा रहा है ।

मंत्रालय में 28 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2013 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को सचिव द्वारा शपथ दिलाई गई । सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 'निर्भय होकर कार्य करने के लिए ईमानदार सरकारी अधिकारी को प्रेरित करने में सतर्कता की भूमिका' विषय पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ।

#### घ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

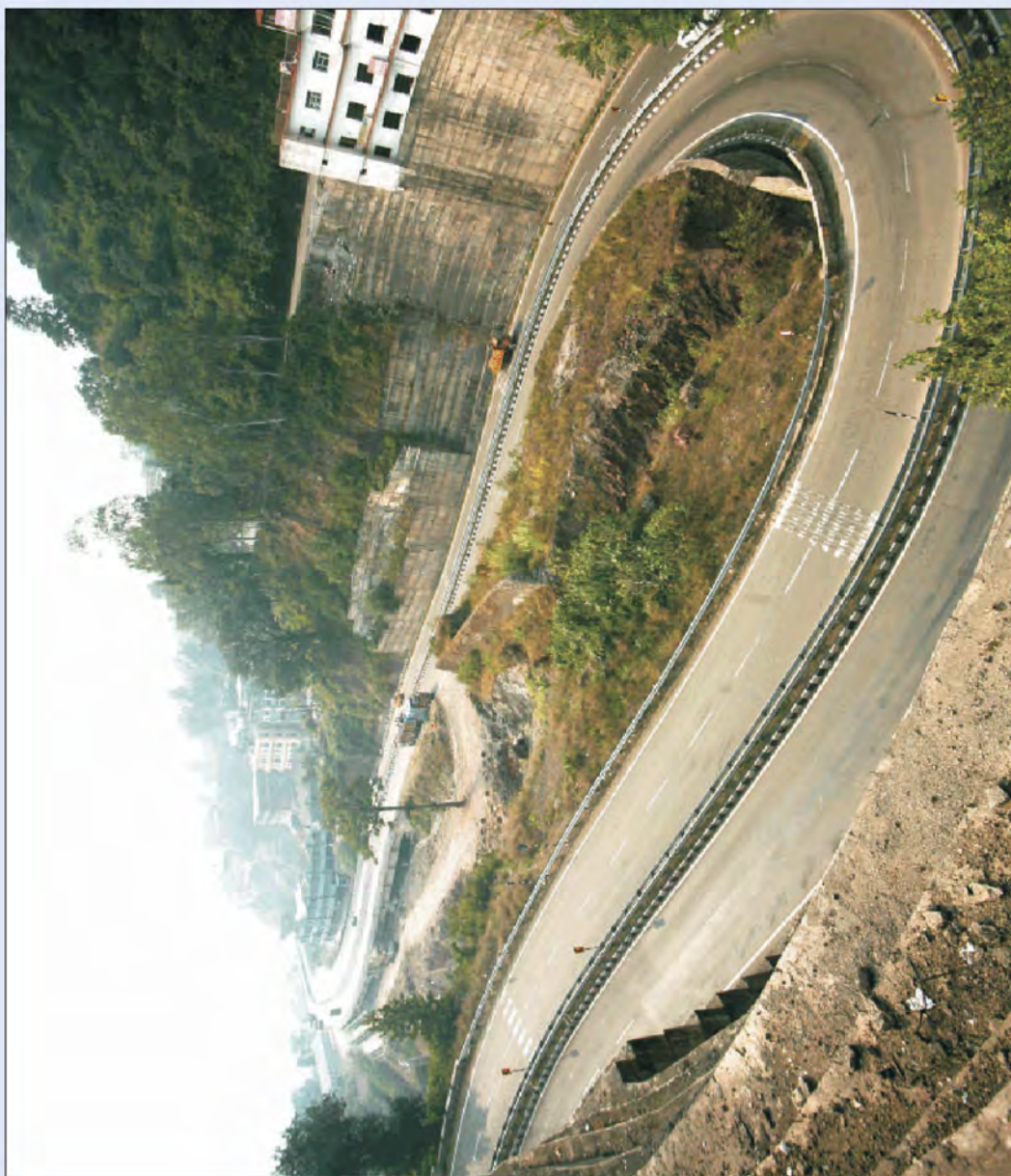
8.20 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का मूल उद्देश्य, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन



सूचना, नागरिकों को प्रदान करने/सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुकर करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था लागू करने का है। सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग स्थापित किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार इस मंत्रालय में आरटीआई अनुभाग, जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों की व्यवस्था की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अधीन जन प्राधिकारियों द्वारा जनता को संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से स्वतः सूचना दी जा रही है। इस मंत्रालय की वेबसाइट विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत इस मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मामलों पर ढेर सारी सूचना प्रदान करती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए परिवहन भवन के भूतल पर एक काउंटर खोला गया है। सूचना के अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए और प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए ऑन लाइन आवेदन करने के लिए जनता को सक्षम बनाने के लिए 3.6.2013 से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा वेबसाइट पोर्टल आरंभ किया गया है जिसमें इस मंत्रालय को भी ऑन लाइन सिस्टम में शामिल किया गया है। ऑन लाइन सिस्टम में आगे की कार्रवाई करने के लिए विभिन्न जन सूचना अधिकारियों को ऑन लाइन वास्तविक आवेदनों को भेजने और वास्तविक उत्तर भेजने के लिए स्कैनिंग की सुविधा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों के अध्यधीन और प्रदत्त अन्य छूटों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम में उल्लिखित निर्धारित समय में आवेदक/जनता को सूचना प्रदान की जा रही है। दो संगठन अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक स्वायत्त निकाय है और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सोसायटी है, इन दोनों संगठनों ने सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा निर्देशित सूचना आवेदकों/जनता को प्रदान करने के लिए अपने अलग-अलग जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। इस मंत्रालय को मोटर यान अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर, पुल, टोल प्लाजा, प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण, पेट्रोल पंपों की स्थापना, टेण्डर आदि से संबंधित आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त होते रहे हैं। संबंधित जन सूचना अधिकारियों द्वारा इन सब का तत्परता से उत्तर दिया जा रहा है। 31 मार्च, 2014 तक, 4382 आरटीआई आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें वास्तविक आवेदन पत्र और ऑन लाइन आवेदन पत्र दोनों ही शामिल हैं, यदि इनमें से कोई एक से अधिक जन सूचना अधिकारी से संबद्ध हुआ है तो उसे सृजित पृथक पंजीकरण नंबरों वाले सिस्टम के अंतर्गत अग्रेषित कर दिया गया। इसी प्रकार 31 मार्च, 2014 तक प्राप्त कुल अपीलों की संख्या लगभग 251 है। आन लाइन सिस्टम में उपलब्ध सुविधा का प्रयोग करते हुए आरटीआई आवेदनों/अपीलों को समय-समय पर निपटाया गया।

### छ परिणाम संरचना दस्तावेज

- 8.21 सरकारी कार्य निष्पादन से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निष्पादन की समीक्षा की है। उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 2012-13 के लिए 54.31 अंक दिये गये हैं। निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, 2012-13 परिणाम संरचना दस्तावेज, 2012-13 को मिलाकर वास्तविक अंक दर्शा रही है जिसका ब्यौरा क्रमशः परिशिष्ट-18 और परिशिष्ट-19 पर दिया गया है।



जिरकपुर परवानू राजमार्ग



## अध्याय IX

### राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

#### कार्यान्वयन व्यवस्था

- 9.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में दो उप-निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा) और अन्य सहायक कर्मचारी हैं। राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के अतिरिक्त हिन्दी अनुभाग, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है।

#### हिन्दी सलाहकार समिति

- 9.2 मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 16 जनवरी, 2012 के संकल्प संख्या ई-11013/6/2009-हिन्दी के अंतर्गत किया गया। समिति की पहली बैठक 08 फरवरी, 2012, दूसरी बैठक 12 फरवरी, 2013 और तीसरी बैठक 7 जनवरी, 2014 को आयोजित की गई।

#### राजभाषा कार्यान्वयन समिति

- 9.3 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 26 जून, 2013, 27 सितम्बर, 2013 और 20 दिसम्बर, 2013 को हुईं। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीन आने वाले कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा इन बैठकों में की गई और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाए गए।

#### राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) का अनुपालन और हिन्दी में पत्राचार

- 9.4 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में इस धारा के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।
- 9.5 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों अर्थात् हिन्दी में लिखे अथवा हिन्दी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए हों।

### हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक





- 9.6 'क' और 'ख' क्षेत्रों में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

### हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय

#### हिन्दी भाषा / हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण

- 9.7 कुल 15 टंककों (लिपिकों) में से 5 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं और कुल 14 आशुलिपिकों में से 4 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं ।

#### नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना

- 9.8 मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है । इस योजना में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन करने वालों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं

#### हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

- 9.9 हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2013 को सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा जारी की गई अपील, मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवलोकनार्थ परिचालित की गई । 13 सितंबर, 2013 से 27 सितंबर, 2013 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, विभागीय ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता, सामान्य पत्र लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता और हिंदी सुलेख जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं मंत्रालय के हिन्दी भाषी और हिन्दी इतर भाषी कर्मिकों के लिए अलग-अलग आयोजित की गईं । मंत्रालय में दिनांक 25.09.2013 और 26.09.2013 को दो कार्यशालाएं क्रमशः 'सरकारी कामकाज हिंदी में कैसे करें' और 'कंप्यूटर पर हिन्दी में काम कैसे करें' भी आयोजित की गईं । संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 30 सितंबर, 2013 को मंत्रालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए । इस वर्ष हिन्दी पखवाड़े के दौरान कुल मिलाकर 154 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया ।



### सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

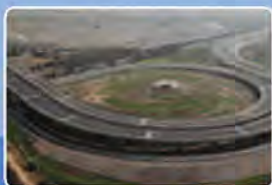
- 9.10 मंत्रालय में संपूर्ण हिन्दी टंकण कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है । कार्य को दक्षता और तीव्रता से करने के लिए कंप्यूटरों में हिन्दी के नवीनतम सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं ।

### निरीक्षण और निगरानी

- 9.11 राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2013-14 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में हुई प्रगति का आकलन करने, राजभाषा नीति के अनुपालन और वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दृष्टि से हिन्दी अनुभाग की ओर से निरीक्षण किए गए । वर्ष के दौरान मंत्रालय के 10 अनुभागों का निरीक्षण किया गया । दिल्ली से बाहर स्थित तीन कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया । इस निरीक्षण के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की गई और उनके दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए गए ।

### मूल रूप से हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

- 9.12 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005-06 में एक प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी । वर्ष 2010 के लिए चयनित दो पांडुलिपियों का मूल्यांकन कराया गया और दो पुस्तकों के लेखकों को दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को एक समारोह के दौरान प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए ।



## अध्याय X

### निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

- 10.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। चुने गए/नामित निःशक्त व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है। निःशक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के संबंध में 31 दिसंबर, 2014 के अनुसार स्थिति **परिशिष्ट-13** पर दी गई है।



पूर्वोत्तर में सड़क विकास



नेपचू – हाई परियोजना



## अध्याय XI

### परिवहन अनुसंधान पक्ष

- 11.01 परिवहन अनुसंधान पक्ष एक नोडल एजेंसी है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को अनुसंधान सूचना, विश्लेषण तकनीकी टिप्पणियां, तथा डाटा सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह पक्ष परिवहन क्षेत्र के नीति नियोजन, समन्वय और कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है।
- 11.2 परिवहन अनुसंधान पक्ष, सड़कों, सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा से संबंधित डाटा का संग्रहण, संकलन प्रसार और विश्लेषण करता है। इसके लिए यह पक्ष अनिवार्यतः विभिन्न स्रोतों अर्थात् केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की एजेंसियों से डाटा एकत्रित करता है। इन स्रोतों से प्राप्त सूचना की जांच की जाती है, संगतता तथा विश्वसनीयता की दृष्टि से उसे मान्यता प्रदान की जाती है और तत्पश्चात परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए वार्षिक प्रकाशनों में उसे समेकित और विश्लेषित किया जाता है। परिवहन अनुसंधान पक्ष अपने चार वार्षिक प्रकाशनों नामतः सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन की पुनरीक्षा, भारत में सड़क दुर्घटनाएं और भारतकी मूल सड़क सांख्यिकी के माध्यम से डाटा के प्रसार में कमी और डाटा अन्तरालों को पाटने के उपाय करके सड़क परिवहन, सड़क सुरक्षा और सड़कों के डाटा बेस को सुदृढ़ करने का सतत प्रयास कर रहा है। इन चारों प्रकाशनों में प्रकाशित सूचनाएं डाटा पोर्टल इंडिया के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है। इसके अतिरिक्त परिवहन अनुसंधान पक्ष सड़क परिवहन क्षेत्र के दायरे में अनुसंधान अध्ययनों/परियोजनाओं के चयन के बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को सलाह/टिप्पणियां भी प्रदान करता है।
- 11.3 परिवहन अनुसंधान पक्ष, सड़क परिवहन वार्षिकी का प्रकाशन करता है जिसमें मोटर परिवहन के अलग-अलग मापदण्डों के बारे में डाटा दिया गया होता है। 31 मार्च, 2012 तक की सूचना युक्त सड़क परिवहन वार्षिकी के नवीनतम अंक का प्रकाशन नवंबर, 2013 में किया गया है। इस प्रकाशन के अगले अंक के लिए प्रक्रिया चल रही है।
- 31 मार्च, 2013 तक की सूचना युक्त राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन की पुनरीक्षा का प्रकाशन जनवरी, 2014 में जारी कर दिया गया। आगामी संस्करण के प्रकाशन का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- 11.4 13 फरवरी, 2012 को माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन



विकास परिषद (टीडीसी) की 34वीं बैठक के दौरान मोटर वाहन करों के औचित्य के मुद्दे पर राज्य परिवहन मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। अधिकारियों की एक समिति भी गठित की गयी जिसमें परिवहन अनुसंधान पक्ष के सलाहकार समिति के संयोजक के रूप में हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विस्तृत रूप से विचार करने और व्यापक परिचर्चा करने के पश्चात परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा 'दो पहिया वाहनों और कारों, हल्के मोटर वाहन के लिए मोटर वाहन करों (एमवीटी) से संबंधित रिपोर्ट' तैयार की गई और अधिकारियों की समिति द्वारा 11 अप्रैल, 2013 को अनुमोदित की गई। यह रिपोर्ट 23 अक्तूबर, 2013 को माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन विकास परिषद की 35वीं बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई। 35वीं परिवहन विकास समिति (टीडीसी) की सिफारिशों के अनुपालन में टूरिस्ट बसों के नेशनल परमिट सिस्टम और माल वाहनों (75 टन तक) के मोटर वाहन के कार-निर्धारण के मुद्दों पर 5 फरवरी, 2014 को एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस अधिकार प्राप्त समिति के संयोजक सलाहकार (टीआर) हैं।

- 11.5 परिवहन अनुसंधान पक्ष को राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी) द्वारा तैयार सड़कों तथा सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों पर टिप्पणियां देने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया है।
- 11.6 परिवहन अनुसंधान पक्ष, सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के समन्वयन में कार्य कर रहा है।
- 11.7 दुर्घटना सूचना डाटा सिस्टम में सुधार के लिए, यूनेस्केप द्वारा प्रायोजित एशिया पैसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस/भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस (एपीआरएडी/आईआरएडी) परियोजना भारत में कार्यान्वित की जा रही है। देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 50 मिलियन प्लस शहरों के सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का एक विशेष रूप से तैयार किए गए 19 मद वाले फॉर्मेट में संग्रहण, संकलन और तुलना की जाती है। परिवहन अनुसंधान विंग, 19 मद वाले फॉर्मेट में एकत्र किए गए डाटा के आधार पर भारत में दुर्घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण और समीक्षा करता है। 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं' : 2012 का नवीनतम अंक, परिवहन अनुसंधान प्रभाग द्वारा जुलाई 2013 में निकाला गया। 'भारत में सड़क दुर्घटना 2013' के अगले अंक का संकलन किया जा रहा है।
- 11.8 परिवहन अनुसंधान पक्ष ब्लैक स्पाटों के संबंध में डाटा संकलन, ब्लैक स्पाटों में सड़क दुर्घटना घातकताओं में कमी लाने के संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों की प्रगति का आकलन और निगरानी करने में सक्रिय रूप से शामिल है।
- 11.9 'बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स (बीआरएस) ऑफ इंडिया' का प्रकाशन देश में सड़क नेटवर्क के संबंध में व्यापक सूचना प्रदान करता है। समूचे केन्द्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों में फैले लगभग 300



संसाधन अभिकरणों से डाटा संकलित किया जाता है। इस प्रकार संकलित डाटा की परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा तुलना समेकन और विश्लेषण किया जाता है। 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए डाटा कवर करने वाले बीआरएस का नवीनतम संस्करण दिसम्बर, 2013 में जारी किया गया। वर्ष 2012-13 के लिए सड़कों से संबंधित सूचना वाला बीआरएस के आगामी संस्करण का संकलन किया जा रहा है।

11.10 परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा संकलित और प्रकाशित डाटा से प्रमाण के तौर पर भारत में सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं नीचे दर्शायी गई हैं:—

- 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार भारत में 159491 हजार पंजीकृत मोटर वाहन हैं।  
(परिशिष्ट-14)
- 2002 से 2012 की अवधि के दौरान देश में कुल पंजीकृत मोटर वाहनों की 10.5% की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ोत्तरी हुई है।
- कुल पंजीकृत मोटर वाहनों में 72% की अधिकतम हिस्सेदारी दो पहिया वाहनों की हुई है।
- कैलेंडर वर्ष 2012 के दौरान भारत में संसूचित सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 490383 थी  
(परिशिष्ट-15)
- कैलेंडर वर्ष 2012 के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं घातकताओं की कुल संख्या और घायल व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 138258 और 509667 थी।
- 2012 में पहली बार सड़क दुर्घटना घातकताओं की संख्या में गिरावट आई।
- सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की संख्या में दो क्रमिक वर्षों 2011 और 2012 में गिरावट आई।
- 2002-12 के दशक के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि दर क्रमशः 1.9 % और 2.2 % थी, जबकि पूर्ववर्ती दशक 1992 से 2002 के दौरान यह क्रमशः 4.0 % और 4.3 % रही।
- पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कें, सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा से संबंधित सूचना परिशिष्ट-16 में दी गयी है।
- वर्ष 1951 से 2011-12 के दौरान सड़क लंबाई (कुल और पक्की) का श्रेणीवार ब्यौरा परिशिष्ट-17 में दिया गया है।



सार्क मोटर वाहन करार के संबंध में बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ गुप की द्वितीय बैठक



## अध्याय XII

### अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12.1 पारस्परिकता, समानता और परस्पर लाभ के आधार पर, सड़कों/राजमार्गों, परिवहन और सड़क सम्पर्कता के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के प्रति निरंतर प्रयास के तौर पर मंत्रालय का अंतर-राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रमों में कार्यरत रहा ।

#### 12.2 अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)/ करार

(क) यह मंत्रालय सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे निर्माण प्रौद्योगिकी और आधुनिक सड़क परिवहन पद्धतियों के सड़क विकास के संबंध में सहयोग और सूचना का आदान प्रदान करने की संभावना का पता लगाने के लिए विभिन्न विकासशील, अल्प विकसित और विकसित देशों के साथ समझौता ज्ञापन अथवा अन्य प्रपत्रों अथवा करारों के संबंध में बातचीत में लगा हुआ है । इस बात पर विचार करते हुए कि एक औपचारिक लिखित दस्तावेज जैसे दो सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, व्यापार और निवेश शुरू करने के लिए निष्पादक एजेंसियों, व्यावसायिकों और निजी क्षेत्र को सरकारी सहायता और विश्वसनीयता का एहसास प्रदान करता है, इसलिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग के औपचारिक ढांचे को तैयार करने के लिए नीति निर्माण के उच्चतर स्तरों पर पहल करने और बैठकों के प्रबंध पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रयास किए गए ।

(ख) अक्तूबर, 2013 में प्रधानमंत्री के चीन दौरे के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और चीन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ मौजूदा समझौता ज्ञापनों की समीक्षा के लिए भी परामर्श कार्य किए गए । आस्ट्रिया और जापान के साथ इसी तर्ज पर सहयोग समझौता ज्ञापन/ ढांचागत कार्य व्यापार करने की वार्ता पूरी हो गई है और हस्ताक्षर करने के लिए ये तैयार हैं ।

#### 12.3 अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग का सुदृढीकरण

क्षेत्र में पड़ोसी देशों और वैश्विक रूप से भी संबंध सुदृढीकरण और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सड़क संपर्क पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, क्षेत्र में जन-जन संपर्क के महत्व को देखते हुए यह मंत्रालय अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान और संचार कायम रखने के कार्य में लगा रहा । इस मंत्रालय ने एसोसिएशन आफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनस (आसियान) इंडिया कनेक्टिविटी और साऊथ एशियन



### सार्क मोटर वाहन करार पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ गुप की द्वितीय बैठक

एसोशिएशन फोर रीजनल कॉऑपरेशन (सार्क) संपर्कता संबंधी मामलों में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए द्विपक्षीय संभाव्यता अथवा क्षेत्रीय सीमांत पार संपर्कता लिंक तलाशने में अपने समन्वयन और नेतृत्व की भूमिका जारी रखी । वर्ष के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के लिए अन्य देशों के साथ कुछ कार्यकलाप तथा करार निम्नानुसार है:—

- (i) इस मंत्रालय ने जापान सरकार के वरिष्ठ उपमंत्री, भूमि अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन के नेतृत्व में आये शिष्टमंडल का स्वागत किया जिसने संवर्धित द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए सितम्बर, 2013 में मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) से मुलाकात की ।
- (ii) मोजाम्बिक के लोक कार्य एवं आवास मंत्री के प्रतिनिधित्व में एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया और द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए अप्रैल, 2013 में मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) से मुलाकात की ।
- (iii) सितम्बर, 2013 में उप परिवहन मंत्री के प्रतिनिधित्व में चीनी शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया और राज्य मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) तथा सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) से मुलाकात



की तथा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए इससे संबंधित अभिमतों को साझा करने और अंतिम रूप दिए गए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तरीकों पर चर्चा की ।

- (iv) फिनलैंड के यूरोपियन अफेयर्स और ट्रेड के मंत्री के प्रतिनिधित्व में फिनलैंड से आये व्यवसाय प्रतिनिधियों सहित एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया और फिनलैंड तथा भारत के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के सुदृढीकरण के लिए मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) से मुलाकात की ।
- (v) सड़क निर्माण और परिवहन में अद्यतन वैश्विक प्रौद्योगिकी और पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए बीजिंग इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन मशीनरी एक्सपोज़िशन एंड सेमिनार, 2013 में भाग लेने के लिए अक्तूबर, 2013 में मंत्रालय से एक शिष्टमंडल ने अक्तूबर में बीजिंग, चीन का दौरा किया ।

#### 12.4 क्षेत्र स्तरीय सहयोग

भारत, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिजनल कॉऑपरेशन (सार्क) और साउथ एशियन सब-रीजनल ईकोनॉमिक को-ऑपरेशन (सासेक) जैसे क्षेत्र स्तरीय के मंचों में अग्रणी भागीदारी अथवा संदस्थ देश के रूप में है । मंत्रालय द्वारा 2013-14 के दौरान क्षेत्रीय सहयोग और सड़क संपर्कता हेतु अनेक पहले की गई है जो निम्नानुसार है:-

- i. क्षेत्रीय मोटर वाहन करार के माध्यम से सार्क सदस्य देशों के साथ क्षेत्रीय सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए मोटर वाहनों के संबंध में मसौदा क्षेत्रीय करार पर बातचीत करने के उद्देश्य से 20 से 21 मई, 2013 के उदयपुर, राजस्थान में मंत्रालय द्वारा सार्क सदस्य देशों के विशेषज्ञ समूह की द्विपक्षीय बैठक की मेजबानी की गई । इस बैठक में मालदीव और श्रीलंका को छोड़कर सार्क सदस्य देशों के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । बैठक में मोटर वाहन के संबंध में सार्क करार के संशोधित मसौदा को विशेषज्ञ समूह द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसे सार्क सचिवालय द्वारा सदस्य देशों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया ।
- ii. विभिन्न मंचों पर अन्य संबंधित मुद्दों के समन्वयन और आसियान ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने के लिए अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं । आसियान-इंडिया कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए अंतरमंत्रालयी समूह की अध्यक्षता मंत्रालय द्वारा की जाती है ।



- iii. ब्रूनेई, दारुसलम में 27 अगस्त, 2013 को 'पार्टनरिंग प्राइवेट सेक्टर फोर आसियान कनेक्टिविटी' नामक चतुर्थ आसियान सड़क संपर्कता विचार गोष्ठी में मंत्रालय के शिष्टमंडल ने भाग लिया ।
- iv. 2013-14 के दौरान भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार और भारत और भूटान के बीच बस सेवाएं संचालित करने के तरीकों के लिए मंत्रालय द्वारा मसौदा संधियों और करार तैयार किए गए हैं और इन्हें संबंधित देशों के साथ उनकी टिप्पणियों और सहमति के लिए साझा किया गया है ।
- v. द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि करने और भारत की पूंजी व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय, कोरिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के साथ सहयोग औपचारिक ढांचा पर बातचीत करने में लगा हुआ है ।



## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### I. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के भीतर आते हैं:

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा ।
2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का संचालन ।
3. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।
4. विधायी विभाग की जांच और विधीक्षा किए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 और 3ए के खंड (ए), 3डी, 7 और धारा 8ए के अंतर्गत अधिसूचनाओं को जारी करना ।

### II. संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में:

5. राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर सड़कें ।
6. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का संचालन और मोटर वाहनों का कराधान ।
7. यांत्रिक रूप से सुसज्जित वाहनों से इतर वाहन ।

### III. अन्य विषय जो पूर्व भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं:

8. केन्द्रीय सड़क निधि ।
9. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान ।
10. केन्द्रीय सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित सड़क कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क कार्यों के अलावा ।
11. मोटर यान विधान
12. मोटर परिवहन और आंतरिक जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन ।
13. सड़कों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति को तैयार करना ।



**IV. स्वायत्त निकाय:**

14. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

**V. सोसायटी / संघ:**

15. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

**VI. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम:**

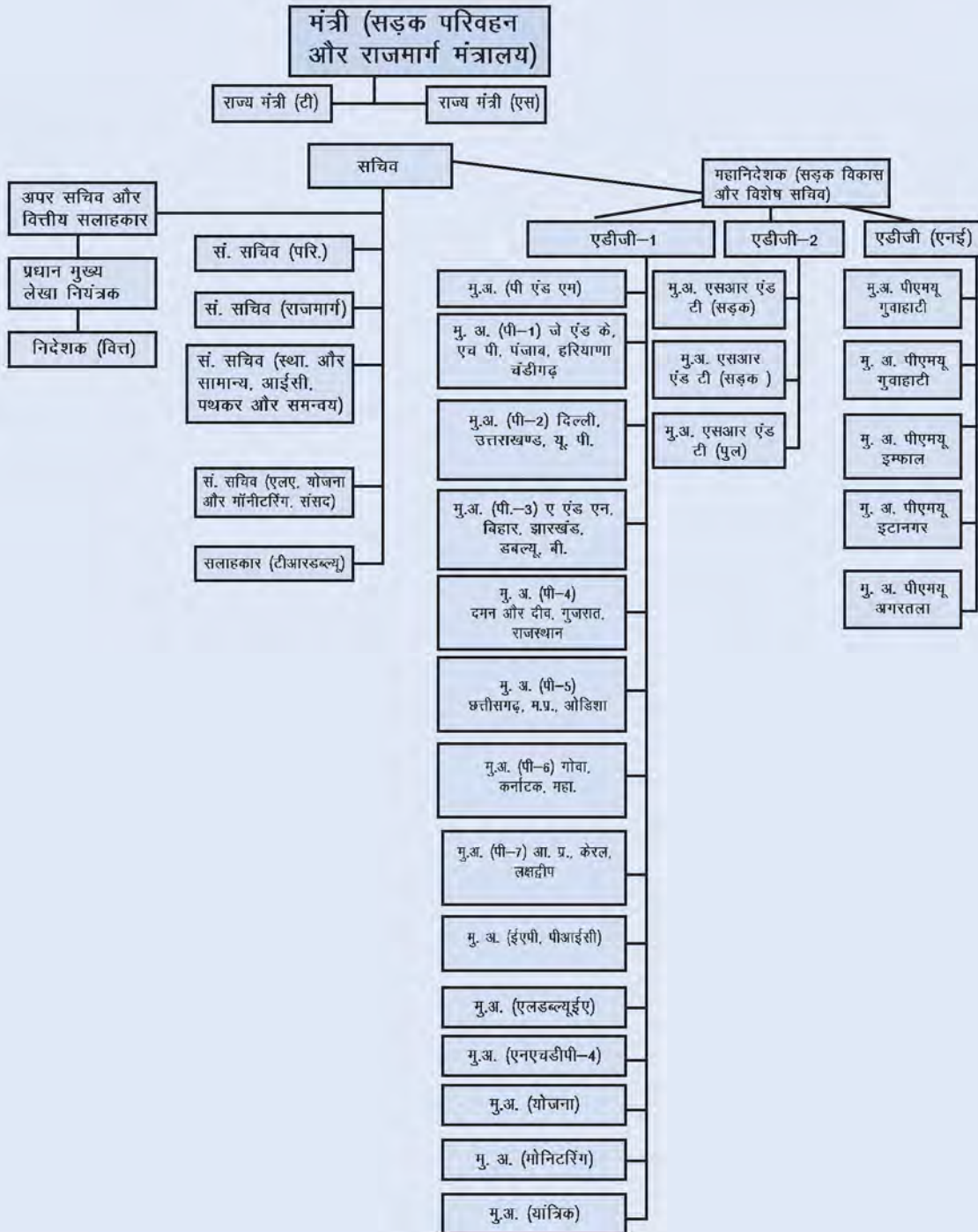
16. भारतीय सड़क निर्माण निगम

**VII. अधिनियम:**

17. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) ।  
18. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।  
19. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) ।  
20. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) ।



## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट





| देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| क्रम सं.                                      | राज्य का नाम    | राष्ट्रीय राजमार्ग सं.                                                                                                                                                                                                                   | कुल लंबाई (कि.मी.) |
| 1                                             | आंध्र प्रदेश    | 4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 42 नया, 43, 63, 67विस्तार. नया, 150 नया, 167 नया, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221, 222, 234, 326, 67 नया, 71 नया, 161 नया, 340 नया, 363 नया, 365 नया, 565 नया, 765 नया                                            | 7028.15            |
| 2                                             | अरुणाचल प्रदेश  | 52, 52ए, 153, 229, 52बी विस्तार., 37 विस्तार.और 315ए                                                                                                                                                                                     | 1780.05            |
| 3                                             | असम             | 31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 117ए नया, 127बी नया, 127ई नया, 151, 152, 153, 154, 315ए नया, 127सी नया और 127डी नया, 329 नया, 427 नया, 62 नया, 702 नया और 71 5ए नया                          | 3675.06            |
| 4                                             | बिहार           | 2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 122ए नया, 131ए नया, 133 नया, 219 नया, 327ए नया, 327 विस्तार. नया, 333 नया 33 3ए नया, 52 7ए नया और 527सी नया | 4538.79            |
| 5                                             | चंडीगढ़         | 21                                                                                                                                                                                                                                       | 15.28              |
| 6                                             | छत्तीसगढ़       | 6, 12ए, 16, 43, 78, 111, 13 0ए नया, 13 0बी नया, 13 0सी नया 13 0डी नया 14 9बी नया, 16 3ए नया, 200, 202, 216, 217, 221, 343 नया और 930 नया                                                                                                 | 3078.40            |
| 7                                             | दिल्ली          | 1, 2, 8, 10, 24 और 236                                                                                                                                                                                                                   | 80.00              |
| 8                                             | गोवा            | 4ए, 17, 17ए और 17बी                                                                                                                                                                                                                      | 262.00             |
| 9                                             | गुजरात          | एनई-1, 6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8 ई, 14, 15, 56, 58 नया, 59, 113, 228, 251 नया, 75 3बी नया, 848, 848ए नया और 84 8बी नया                                                                                                                  | 3973.29            |
| 10                                            | हरियाणा         | 1, 2, 8, 10, 1 1नया 21ए, 22, 54 नया, 64, 65, 71, 71ए, 72, 73, 73ए, 71बी, 236, 248ए नया, 33 4बी नया, 703 नया, 709 विस्तार नया और एनई-II                                                                                                   | 2057.48            |
| 11                                            | हिमाचल प्रदेश   | 1ए, 3, 3 नया, 20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी, 88, 73ए 15 4ए नया, 305 नया, 503 नया, 503 विस्तार नया और 505 नया                                                                                                                        | 2396.48            |
| 12                                            | जम्मू और कश्मीर | 1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 3 नया, 144 नया, 14 4ए नया, 301 नया, 444नया, 501 नया और 701 नया                                                                                                                                                        | 2319.00            |
| 13                                            | झारखंड          | 2, 6, 23, 31, 32, 33, 43 नया, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 114ए नया, 133 नया, 133ए नया, 143 नया, 143ए नया, 220 नया, 333 नया, 333ए नया, 343 नया और 419 नया                                                                                    | 2996.64            |
| 14                                            | कर्नाटक         | 4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 50 नया, 63, 67, 67नया, 150, 150 विस्तार. नया, 150ए नया, 167 नया, 167ए नया, 173 नया, 206, 207, 209, 212, 218, 234, 275 नया और 367 नया                                                                            | 6294.29            |
| 15                                            | केरल            | 17, 47, 47ए, 47सी, 49, 183ए नया, 185 नया, 208, 212, 213, और 220                                                                                                                                                                          | 1811.52            |
| 16                                            | मध्य प्रदेश     | 3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी, 27, 43 नया, 56 नया, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86, 92 और 927ए नया                                                                                                                                   | 5184.57            |
| 17                                            | महाराष्ट्र      | 3, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 69, 150 विस्तार. नया, 161 नया, 204, 211, 222, 348 नया, 848 नया, 160 नया, 166 नया, 166ए नया, 361 नया, 363 नया, 753 नया, 753ए नया, 753बी नया, 848ए और 930 नया                            | 6335.44            |
| 18                                            | मणिपुर          | 39, 53, 102ए नया, 102बी नया, 102सी नया, 108 ए नया, 129 नया, 137 नया, 150, 155, 702ए नया                                                                                                                                                  | 1503.74            |
| 19                                            | मेघालय          | 40, 44, 51, 62 और 127बी नया                                                                                                                                                                                                              | 1204.36            |
| 20                                            | मिजोरम          | 6 नया, 44ए, 54, 54ए, 54बी, 150, 154, 302 नया और 502ए नया                                                                                                                                                                                 | 1181.00            |
| 21                                            | नगालैंड         | 36, 39, 61, 129 नया, 150, 155, 702 नया, 702ए नया                                                                                                                                                                                         | 1046.09            |



|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22 | ओडिशा                       | 5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 130सी नया, 153बी नया, 157 नया, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217, 220 नया, 224, 326 नया, 326ए नया                                                                                                                                                     | 4684.52 |
| 23 | पुदुच्चेरी                  | 45ए और 66                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.03   |
| 24 | पंजाब                       | 1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72, 95, 103ए नया, 503 विस्तार. नया, 703 नया, 703ए नया और 754 नया                                                                                                                                                                         | 2136.15 |
| 25 | राजस्थान                    | 3, 3ए नया, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 25 विस्तार. नया, 54 नया, 65, 65ए नया, 71बी, 76, 76ए नया, 76बी नया, 79, 79ए नया, 89, 90, 113, 112, 114, 116, 116ए नया, 158 नया, 162ए नया, 162 विस्तार. नया, 248ए नया, 325 नया, 709 विस्तार. नया और 927ए नया                       | 7806.20 |
| 26 | सिक्किम                     | 31ए, 310, 310ए नया, 510 नया, 710 नया                                                                                                                                                                                                                                            | 309.00  |
| 27 | तमिलनाडु                    | 4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी, 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226विस्तार., 227, 230, 234, 381 नया और 532 नया                                                                                                                          | 5006.14 |
| 28 | त्रिपुरा                    | 44, 44ए और 208 नया                                                                                                                                                                                                                                                              | 562.00  |
| 29 | उत्तराखंड                   | 58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 87 विस्तार., 94, 107 नया, 108, 109, 123, 119, 121, 125 और 309ए नया                                                                                                                                                                               | 2364.92 |
| 30 | उत्तर प्रदेश                | 2, 2ए, 3, 3ए नया, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119, 219 नया, 231, 232, 232ए, 233, 235, 330, 330ए नया, 334बी नया, 730 नया, 730ए नया, 931 नया, 931ए नया और एनई-II | 7863.00 |
| 31 | पश्चिम बंगाल                | 2, 2बी, 6, 10, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81, 114ए नया, 116बी नया, 117, 131ए, 13ए नया, 317ए, 327बी, 512 नया, और 717                                                                                                                                  | 2909.80 |
| 32 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 223                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330.70  |
| 33 | दादर नगर हवेली              | 848ए नया                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.00   |
| 34 | दमन और दीव                  | 848बी नया और 251 नया                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.00   |
|    |                             | जोड़                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92851   |



2013-14 के दौरान ठेके पर दी गई परियोजनाओं का ब्यौरा

| क्र. सं. | परियोजना का नाम                                                                                                                            | सरा सं. | कुल लंबाई (किमी) | द्वारा वित्त पोषित | टीपीसी (करोड़ रुपए) | राज्य                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1.       | बरवाअड्डा पानागढ़                                                                                                                          | 2       | 122.88           | बीओटी              | 1665                | पश्चिम बंगाल           |
| 2.       | सरा 211 का शोलापुर-येदिशी खंड चार लेन का बनाना                                                                                             | 211     | 100              | बीओटी              | 972.5               | महाराष्ट्र             |
| 3.       | भीम से पारासोली खंड (पैकेज I) को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना                                                                         | 148डी   | 33               | ईपीसी              | 100.29              | राजस्थान               |
| 4.       | भीम से पारासोली खंड (पैकेज II) को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना                                                                        | 148डी   | 36.267           | ईपीसी              | 113.8               | राजस्थान               |
| 5.       | झालावाड़-राजस्थान/मध्यप्रदेश सीमा को पेव्ड शोल्डर/सहित दो लेन का बनाना                                                                     | 12      | 62.16            | ईपीसी              | 177.32              | राजस्थान               |
| 6.       | लाम्बिया-जैतारण-रायपुर को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना                                                                                | 458     | 52.8             | ईपीसी              | 158.04              | राजस्थान               |
| 7.       | रायपुर-जरुसाखेडा को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना                                                                                      | 458     | 32.36            | ईपीसी              | 149.34              | राजस्थान               |
| 8.       | निम्बीजोधा-डेगाना-मेडता को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना                                                                               | 458     | 139.9            | ईपीसी              | 368.15              | राजस्थान               |
| 9.       | भीलवाड़ा-लाडपुर खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना                                                                                   | 758     | 67.75            | ईपीसी              | 240.1               | राजस्थान               |
| 10.      | सितारगंज-बरेली खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना                                                                                    | 74      | 74.46            | ईपीसी              | 301.04              | उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश |
| 11.      | जालंधर-अमृतसर                                                                                                                              | 1       | 20               | ईपीसी              | 523.85              | पंजाब                  |
| 12.      | गुलाबपुर-उनियारा खंड पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना                                                                                     | 148डी   | 214              | ईपीसी              | 523.87              | राजस्थान               |
| 13.      | पाधी-दाहोद                                                                                                                                 | 113     | 85.6             | ईपीसी              | 279.14              | राजस्थान               |
| 14.      | करौली-धौलपुर                                                                                                                               | 11बी    | 100.9            | ईपीसी              | 295.83              | राजस्थान               |
| 15.      | नर्मदा नदी के आर-पार नये एक्स्ट्राडोज्ड पुल का निर्माण सहित सरा 8 के बड़ोदरा-सूरत खंड के बीच 192.00 किमी से 198.00 किमी तक छः लेन का बनाना | 8       | 6.74             | ईपीसी              | 407.00              | गुजरात                 |
| 16.      | अम्बेडकर नगर-रायबरेली                                                                                                                      | 232     | 155.91           | ईपीसी              | 495.78              | उत्तर प्रदेश           |
| 17.      | रायबरेली-बांदा                                                                                                                             | 232     | 133.29           | ईपीसी              | 351.34              | उत्तर प्रदेश           |



परिशिष्ट-5

| वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार अनंतिम आबंटन का ब्यौरा |                                |                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| (करोड़ रुपये)                                                                                                                     |                                |                      |          |
| क्र. सं.                                                                                                                          | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | सारा (मूल)+ पीबीएफएफ | अनुरक्षण |
| 1                                                                                                                                 | आंध्र प्रदेश                   | 187.62               | 167.27   |
| 2                                                                                                                                 | अरुणाचल प्रदेश                 | 1.09                 | 12.00    |
| 3                                                                                                                                 | असम                            | 200.67               | 24.09    |
| 4                                                                                                                                 | बिहार                          | 274.72               | 142.35   |
| 5                                                                                                                                 | चंडीगढ़                        | 0.92                 | 0.08     |
| 6                                                                                                                                 | छत्तीसगढ़                      | 25.28                | 18.41    |
| 7                                                                                                                                 | दिल्ली                         | 3.55                 | 0.00     |
| 8                                                                                                                                 | गोवा                           | 20.66                | 13.32    |
| 9                                                                                                                                 | गुजरात                         | 143.78               | 104.40   |
| 10                                                                                                                                | हरियाणा                        | 53.51                | 30.03    |
| 11                                                                                                                                | हिमाचल प्रदेश                  | 99.74                | 29.64    |
| 12                                                                                                                                | झारखंड                         | 70.32                | 30.05    |
| 13                                                                                                                                | कर्नाटक                        | 164.55               | 60.50    |
| 14                                                                                                                                | केरल                           | 267.81               | 34.49    |
| 15                                                                                                                                | मध्य प्रदेश                    | 150.69               | 42.32    |
| 16                                                                                                                                | महाराष्ट्र                     | 177.00               | 82.67    |
| 17                                                                                                                                | मणिपुर                         | 54.39                | 24.84    |
| 18                                                                                                                                | मेघालय                         | 34.58                | 11.18    |
| 19                                                                                                                                | मिजोरम                         | 24.20                | 4.40     |
| 20                                                                                                                                | नगालैंड                        | 44.65                | 7.33     |
| 21                                                                                                                                | ओडिशा                          | 231.51               | 59.66    |
| 22                                                                                                                                | पुदुच्चेरी                     | 10.0                 | 0.22     |
| 23                                                                                                                                | पंजाब                          | 109.50               | 48.92    |
| 24                                                                                                                                | राजस्थान                       | 213.85               | 178.37   |
| 25                                                                                                                                | तमिलनाडु                       | 210.24               | 116.87   |
| 26                                                                                                                                | उत्तर प्रदेश                   | 284.42               | 194.51   |
| 27                                                                                                                                | उत्तराखंड                      | 86.99                | 27.60    |
| 28                                                                                                                                | पश्चिम बंगाल                   | 133.85               | 46.38    |
| 29                                                                                                                                | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह    | 9.53                 | 1.87     |



केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटन और निर्गमन

| वर्ष      | 2000-01 |         | 2001-02 |         | 2002-03 |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | आबंटन   | जारी    | आबंटन   | जारी    | आबंटन   | जारी    |
| करोड़ रु. | 985.00  | 332.01  | 962.03  | 300.00  | 980.00  | 950.28  |
| वर्ष      | 2003-04 |         | 2004-05 |         | 2005-06 |         |
|           | आबंटन   | जारी    | आबंटन   | जारी    | आबंटन   | जारी    |
| करोड़ रु. | 910.76  | 778.94  | 868.00  | 607.40  | 1535.36 | 1299.27 |
| वर्ष      | 2006-07 |         | 2007-08 |         | 2008-09 |         |
|           | आबंटन   | जारी    | आबंटन   | जारी    | आबंटन   | जारी    |
| करोड़ रु. | 1535.46 | 1462.29 | 1565.32 | 1322.19 | 2171.64 | 2122.00 |
| वर्ष      | 2009-10 |         | 2010-11 |         | 2011-12 |         |
|           | आबंटन   | जारी    | आबंटन   | जारी    | आबंटन   | जारी    |
| करोड़ रु. | 1786.56 | 1344.98 | 2714.87 | 2460.29 | 2288.65 | 1927.39 |
| वर्ष      | 2012-13 |         | 2013-14 |         |         |         |
|           | आबंटन   | जारी    | आबंटन   | जारी    |         |         |
| करोड़ रु. | 2359.91 | 2350.37 | 2359.91 | 2923.73 |         |         |



परिशिष्ट-7

| समूह           | स्वीकृत कार्य<br>बल | तैनात कर्मचारियों<br>की कुल संख्या | अ. जा. | अ.ज. जा. | तैनात कुल<br>कर्मचारियों में<br>: | तैनात कुल<br>कर्मचारियों में : |
|----------------|---------------------|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| तकनीकी         |                     |                                    |        |          |                                   |                                |
| समूह क         | 227                 | 172                                | 28     | 11       | 16.27                             | 6.39                           |
| समूह ख         | 81                  | 40                                 | 08     | 04       | 20.00                             | 10.00                          |
| समूह ग         | 7                   | 07                                 | 02     | 0        | 28.57                             | 0.00                           |
| सी<br>[एमटीएस] | 0                   | 0                                  | 0      | 0        | 0.00                              | 0.00                           |
| कुल            | 315                 | 219                                | 38     | 15       | 17.35                             | 6.85                           |
| गैर-तकनीकी     |                     |                                    |        |          |                                   |                                |
| समूह           | 65                  | 58                                 | 7      | 7        | 12.06                             | 12.06                          |
| समूह क         | 249                 | 179                                | 19     | 12       | 10.61                             | 6.70                           |
| समूह ख         | 195                 | 122                                | 27     | 06       | 22.13                             | 4.91                           |
| समूह ग         | 173                 | 153                                | 55     | 09       | 35.94                             | 5.88                           |
| समूह घ         | 682                 | 512                                | 108    | 34       | 21.09                             | 6.64                           |



लोक लेखा समिति के पैराओं/रिपोर्टों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों का ब्यौरा

| क्र. सं. | लोक लेखा समिति/लेखा परीक्षा रिपोर्ट की संख्या और शीर्षक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | की गई कार्रवाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p>पीएसी रिपोर्ट सं. 64—स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित व्यय (2010-2011) में आधिक्य</p> <p>लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में सम्मिलित अनेक मंत्रालयों, विभागों में इस प्रकार के उनत्तीस मामले हैं। जहां तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संबंध है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मांग सं. 80—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अनुदान के राजस्व प्रभार खंड के अंतर्गत शून्य प्रावधान के सामने शीर्ष 3451.00.09.11 (राजस्व खंड—सचिवालय आर्थिक सेवाएं) के अंतर्गत लेखा अधिकारी, जीआर ईएफ जो सीमा सड़क विकास बोर्ड की एक एजेंसी है, द्वारा 15000 रुपए की धनराशि बुक की गई थी यह व्यय भारत संघ सरकार बनाम रविंदर की 2010 की रिट याचिका (सिविल) सं. 787 की लागत के सामने उसकी अदायगी करने के लिए बीआरडीबी द्वारा बुक किया गया था।</p> <p>समिति की सिफारिशें थीं कि इस रिपोर्ट के भाग—। के पैरा—14 में संदर्भित व्यय को, (जिसे उपर्युक्त व्यय में शामिल किया गया है) भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (ख) में निर्धारित तरीके से नियमित किया जाए।</p> | <p>संशोधित की गई कार्रवाई / लेखा परीक्षा से जांच कराने के पश्चात् लोक सभा सचिवालय (पीएसी ब्रांच) को 2.1.2014 को भेज दी गई है।</p>                                                                                                                                                                                    |
| 2.       | <p>संघ सरकार के लेखाओं, वित्तीय लेखा परीक्षा, वर्ष 2011-12 के लिए 2013 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सं. 1 की जांच। इस रिपोर्ट में वित्तीय लेखा परीक्षा में संबंधित अनेक पहलू शामिल हैं।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>लोक सभा सचिवालय की पीएसी ब्रांच ने रिपोर्ट के पैरा 5.13 से 5.32 के संबंध में विचलन के कारणों के उल्लेख के साथ वास्तविक टिप्पणी के लिए अनुरोध किया था। दिनांक 23.10.2013 को बजट अनुभाग के का.ज्ञा. के तहत इस मंत्रालय का समेकित उत्तर भेज दिया गया था।</p>                                                         |
| 3        | <p>भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की 2013 की रिपोर्ट सं 13 (अनुपालन लेखा परीक्षा प्रेक्षण) अध्याय XVI में विभिन्न मंत्रालयों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वाणिज्यिक) के संबंध में अनुवर्तन शामिल थे। रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्टें भी शामिल हैं। जिनमें की गई कार्रवाई संबंधित टिप्पणियां लंबित है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>स्थायी लेखा परीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान की गई आवधिक बैठकों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित लंबित लेखा परीक्षा पैराओं की समीक्षा की है और सभी पक्षों/प्रभागों तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के शीघ्र उत्तर एवं की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी भेजने का अनुदेश दिया गया है।</p> |



परिशिष्ट-9

| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में मुख्य शीर्ष-वार व्यय |                  |                   |                   |                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| लेखा परीक्षण पूर्व                                                 |                  |                   | (करोड़ रुपए)      |                 |                     |
| लेखा शीर्ष                                                         | बजट प्राक्कलन    | संशोधित प्राक्कलन | 1.03.2014 तक व्यय | % बजट प्राक्कलन | % संशोधित प्राक्कलन |
| <b>योजना शीर्ष</b>                                                 |                  |                   |                   |                 |                     |
| मु.शी. 2552 पूर्वोत्तर क्षेत्र                                     |                  |                   |                   |                 |                     |
| मु.शी. 3054 सड़कें एवं पुल                                         | 10435.43         | 10435.43          | 10416.81          | 99.82           | 99.82               |
| मु.शी. 3055-सड़क परिवहन                                            | 200.00           | 200.00            | 91.14             | 45.57           | 45.57               |
| मु.शी.3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान                         | 2580.86          | 2870.86           | 2842.40           | 110.13          | 99.01               |
| मु.शी.3602- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान          | 97.47            | 408.97            | 251.73            | 258.26          | 61.55               |
| <b>कुल राजस्व भाग</b>                                              | <b>13313.76</b>  | <b>13915.26</b>   | <b>13602.08</b>   | <b>102.17</b>   | <b>97.75</b>        |
| मु.शी. 4552 पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी पूंजीगत परिव्यय              | 0.00             | 0.00              | 0                 | 0.00            | 0.00                |
| मु.शी. 5054 सड़क एवं पुल संबंधी पूंजीगत परिव्यय***                 | 29970.23         | 29570.23          | 27040.24          | 90.22           | 91.44               |
| मु.शी. 7075- अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण                          | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| <b>कुल पूंजी भाग</b>                                               | <b>29970.23</b>  | <b>29570.23</b>   | <b>27040.24</b>   | <b>90.22</b>    | <b>91.44</b>        |
| <b>कुल योजना शीर्ष (सकल)</b>                                       | <b>43283.99</b>  | <b>43485.49</b>   | <b>40642.32</b>   | <b>93.90</b>    | <b>93.46</b>        |
| <b>वसूलियां घटाएं (आयोजना+गैर-आयोजना)</b>                          | <b>-17424.08</b> | <b>-18035.58</b>  | <b>-17060.99</b>  | <b>97.92</b>    | <b>94.60</b>        |
| <b>कुल आयोजना (निवल ))</b>                                         | <b>25859.91</b>  | <b>25449.91</b>   | <b>23581.33</b>   | <b>91.19</b>    | <b>92.66</b>        |
| मु.शी. - 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं                                | 484.01           | 398.43            | 355.83            | 73.52           | 89.31               |
| मु.शी. 3054 सड़कें एवं पुल                                         | 2794.31          | 2690.93           | 2206.01           | 78.95           | 81.98               |
| मु.शी.3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (*)                     | 0.00             | 0.00              | -0.02             | 0.00            | 0.00                |
| <b>कुल राजस्व भाग</b>                                              | <b>3278.32</b>   | <b>3089.36</b>    | <b>2561.82</b>    | <b>78.14</b>    | <b>82.92</b>        |



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
भारत सरकार

| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में मुख्य शीर्ष-वार व्यय                                                          |                |                   |                   |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| लेखा परीक्षण पूर्व                                                                                                          |                |                   | (करोड़ रुपए)      |                 |                     |
| लेखा शीर्ष                                                                                                                  | बजट प्राक्कलन  | संशोधित प्राक्कलन | 1.03.2014 तक व्यय | % बजट प्राक्कलन | % संशोधित प्राक्कलन |
| मु.शी. 5054 सड़क एवं पुल संबंधी पूंजी परिव्यय (*)                                                                           | 2303.92        | 1889.27           | 1631.77           | 70.83           | 86.37               |
| <b>कुल पूंजीगत भाग</b>                                                                                                      | <b>2303.92</b> | <b>1889.27</b>    | <b>1631.77</b>    | <b>70.83</b>    | <b>86.37</b>        |
| अनंतिम                                                                                                                      |                |                   | (करोड़ रुपए)      |                 |                     |
| लेखा शीर्ष                                                                                                                  | बजट प्राक्कलन  | संशोधित प्राक्कलन | 1.03.2014 तक व्यय | % बजट प्राक्कलन | % संशोधित प्राक्कलन |
| कुल गैर-आयोजना (सकल)                                                                                                        | 5582.24        | 4978.63           | 4193.60           | 75.12           | 84.23               |
| वसूलियां घटाएं (गैर-आयोजना)                                                                                                 | -140.01        | -90.01            | -49.25            | 35.17           | 54.71               |
| कुल गैर-आयोजना (निवल)                                                                                                       | 5442.23        | 4888.62           | 4144.35           | 76.15           | 84.78               |
| जोड़ (आयोजना + गैर-आयोजना)                                                                                                  | 48866.23       | 48464.12          | 44835.92          | 91.75           | 92.51               |
| वसूलियां घटाएं (आयोजना+गैर-आयोजना)                                                                                          | -17564.09      | -18125.59         | -17110.23         | 97.42           | 94.40               |
| जोड़ आयोजना+गैर-आयोजना निवल                                                                                                 | 31302.14       | 30338.53          | 27725.69          | 88.57           | 91.39               |
| (*) फरवरी, 2014 के लिए बीआरडीबी के संबंध में                                                                                |                |                   |                   |                 |                     |
| *** टिप्पणी: मुख्य शीर्ष 4552 के अंतर्गत बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन के मुख्य शीर्ष 5054 में पुनर्नियोजित किया गया है । |                |                   |                   |                 |                     |



परिशिष्ट-10

गत तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

|    | मुख्य शीर्ष                                                              | 2011-12        | 2012-13        | 2013-2014      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 0021 – निगम कर से भिन्न आय पर कर                                         | 126.53         | 121.80         | 103.40         |
| 2  | 0045 – वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3  | 0049 – ब्याज की प्राप्तियां                                              | 136.55         | 141.40         | 66.34          |
| 4  | 0050 – लाभांश एवं लाभ                                                    |                | 0.00           | 0.00           |
| 5  | 0070 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं                                             | 0.0025         | 0.0019         | 1.50           |
| 6  | 0071 – पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां | 0.66           | 0.55           | 0.50           |
| 7  | 0075 – विविध सामान्य सेवाएं                                              | 14.42          | 1.65           | 1.69           |
| 8  | 0210 – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य                                          | 0.25           | 0.24           | 0.23           |
| 9  | 0216 – आवास                                                              | 0.16           | 0.14           | 0.13           |
| 10 | 0852 – परिवहन उपस्कर सेवाएं                                              | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 11 | 1054 – सड़कें एवं पुल                                                    | 3047.15        | 4006.78        | 4846.73        |
| 12 | 1055– सड़क परिवहन                                                        | 0.06           | 0.00           | 0.00           |
| 13 | 1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं                                          | 0.07           | 0.11           | 0.02           |
|    | <b>जोड़</b>                                                              | <b>3325.85</b> | <b>4272.67</b> | <b>5020.54</b> |



राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के संदर्भ में पिछले तीन वर्षों के दौरान  
केन्द्रीय लेन-देन विवरण के अनुसार निधियों के स्रोत  
राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रूपए)

| मद/वर्ष                | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| कर राजस्व              | 126.53  | 121.80  | 103.40  |
| गैर-कर राजस्व          | 3199.32 | 4150.87 | 4917.14 |
| सकल राजस्व प्राप्तियां | 3325.85 | 4272.67 | 5020.54 |



परिशिष्ट-12

लेखाओं के मुख्य बिंदु (संशोधित होने योग्य)

(करोड़ रुपए)

| प्राप्तियां |                                |                  | संवितरण                    |                  |
|-------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| राशि        |                                |                  | राशि                       |                  |
| क.          | राजस्व प्राप्तियां             |                  | राजस्व व्यय                |                  |
| 1           | कर राजस्व                      | 1217999          | सामान्य सेवा               | 115629           |
| 2           | गैर-कर राजस्व                  | 41508732         | सामाजिक सेवा               | 12019            |
|             | ब्याज प्राप्तियां              | 1413976          |                            | 159729377        |
|             | अन्य गैर-कर राजस्व             | 40094756         | आर्थिक सेवा                | 179957           |
|             | कुल गैर-कर राजस्व              |                  | सहायता अनुदान              |                  |
|             | कुल राजस्व प्राप्तियां         | <b>42726731</b>  | कुल राजस्व व्यय            | <b>160036982</b> |
| ख.          | पूँजीगत प्राप्तियां            |                  | पूँजीगत व्यय               |                  |
|             | अन्य परिवहन सेवाओं के लिए ऋण   | 5120898          | आर्थिक सेवा                | 28084563         |
|             | राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम | 0                | ऋण तथा अग्रिम              | 2370             |
|             | सरकारी कर्मचारियों को ऋण       | 0                |                            |                  |
|             | कुल पूँजीगत प्राप्तियां        | <b>5125082</b>   | कुल पूँजीगत व्यय           | <b>28086933</b>  |
|             | भारत की कुल समेकित निधि        | <b>47851813</b>  | भारत की कुल समेकित निधि    | <b>188123915</b> |
|             | लोक लेखा                       |                  | लोक लेखा                   |                  |
|             | लघु बचत भविष्य निधि खाता       | <b>150584</b>    | लघु बचत भविष्य निधि खाता   | <b>99839</b>     |
|             | भविष्य निधि                    | 150038           | भविष्य निधि                | 97800            |
|             | अन्य लेखे                      | 546              | अन्य लेखे                  | 2039             |
|             | आरक्षित निधियां                | <b>143542200</b> | आरक्षित निधियां            | <b>160730402</b> |
|             | ब्याज रहित आरक्षित निधियां     | 143542200        | ब्याज रहित आरक्षित निधियां | 160730402        |
|             | जमा एवं अग्रिम                 | <b>17172593</b>  | जमा एवं अग्रिम             | <b>14552315</b>  |
|             | ब्याज युक्त जमा                |                  | ब्याज युक्त जमा            |                  |
|             | ब्याज रहित जमा                 | 17172593         | ब्याज रहित जमा             | 14552315         |
|             | अग्रिम                         |                  | अग्रिम                     |                  |
|             | उचंत एवं विविध                 | <b>216805295</b> | उचंत एवं विविध             | <b>62016014</b>  |
|             | उचंत                           | -16372752        | उचंत                       | 271684           |
|             | अन्य लेखे                      | 233178047        | अन्य लेखे                  | 61744330         |
|             | कुल लोक लेखे                   | <b>377670672</b> | कुल लोक लेखे               | <b>237398570</b> |

स्रोत:- केंद्रीय लेन देन विवरण



परिशिष्ट-13

तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर निःशक्त व्यक्तियों  
की संख्या के संबंध में स्थिति

| समूह        | संस्वीकृत संख्या | नियुक्त किए गए अपंग व्यक्तियों की संख्या |
|-------------|------------------|------------------------------------------|
| तकनीकी      |                  |                                          |
| ए           | 227              | 0                                        |
| बी          | 81               | 2                                        |
| सी          | 7                | 0                                        |
| सी [एमटीएस] | 0                | 0                                        |
| कुल         | 315              | 2                                        |
| गैर-तकनीकी  |                  |                                          |
| ए           | 65               | 0                                        |
| बी          | 249              | 2                                        |
| सी          | 195              | 1                                        |
| सी [एमटीएस] | 173              | 2                                        |
| कुल         | 682              | 05                                       |



परिशिष्ट -14

भारत में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या 2003 से 2012 तक

| तालिका 1 : भारत में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या 2003 से 2012 तक<br>(हजार में)                                                    |          |          |                       |           |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|--------|
| वर्ष<br>(31 मार्च की<br>स्थिति के<br>अनुसार)                                                                                           | सभी वाहन | दो पहिया | कार, जीप और<br>टैक्सी | बसें<br>@ | माल वाहक | अन्य*  |
| 1                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                     | 5         | 6        | 7      |
| 2003                                                                                                                                   | 67,007   | 47,519   | 8,599                 | 721       | 3,492    | 6,676  |
| 2004                                                                                                                                   | 72,718   | 51,922   | 9,451                 | 768       | 3,749    | 6,828  |
| 2005                                                                                                                                   | 81,499   | 58,799   | 10,320                | 892       | 4,031    | 7,457  |
| 2006                                                                                                                                   | 89,618   | 64,743   | 11,526                | 992       | 4,436    | 7,921  |
| 2007                                                                                                                                   | 96,707   | 69,129   | 12,649                | 1,350     | 5,119    | 8,460  |
| 2008                                                                                                                                   | 105,353  | 75,336   | 13,950                | 1,427     | 5,601    | 9,039  |
| 2009                                                                                                                                   | 114,951  | 82,402   | 15,313                | 1,486     | 6,041    | 9,710  |
| 2010                                                                                                                                   | 127,746  | 91,598   | 17,109                | 1,527     | 6,432    | 11,080 |
| 2011                                                                                                                                   | 141,866  | 101,865  | 19,231                | 1,604     | 7,064    | 12,102 |
| 2012                                                                                                                                   | 159,491  | 115,419  | 21,568                | 1,677     | 7,658    | 13,169 |
| * : अन्य जिनमें ट्रैक्टर, ट्रेलर, तिपहिया (सवारी वाहन)/हल्के मोटर वाहन और अन्य विविध वाहन जो<br>अलग से वर्गीकृत नहीं होते, शामिल हैं । |          |          |                       |           |          |        |
| @ : उनमें ओमनी बसें शामिल हैं ।                                                                                                        |          |          |                       |           |          |        |
| स्रोत : राज्य परिवहन आयुक्तों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालय                                                                          |          |          |                       |           |          |        |



तालिका 2 : सड़क दुर्घटनाओं और इनके शिकार व्यक्तियों की संख्या: 2003 से 2012

| वर्ष                                                                                                                                                                                           | दुर्घटनाओं की संख्या |                | व्यक्तियों की संख्या |         | दुर्घटना की गंभीरता* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                | कुल                  | घायल           | मारे गए              | घायल    |                      |
| 2003                                                                                                                                                                                           | 406,726              | 73,589 (18.1)  | 85,998               | 435,122 | 21.1                 |
| 2004                                                                                                                                                                                           | 429,910              | 79,357 (18.5)  | 92,618               | 464,521 | 21.5                 |
| 2005                                                                                                                                                                                           | 439,255              | 83,491(19.0)   | 94,968               | 465,282 | 21.6                 |
| 2006                                                                                                                                                                                           | 460,920              | 93,917(20.4)   | 105,749              | 496,481 | 22.9                 |
| 2007                                                                                                                                                                                           | 479,216              | 101,161(21.1)  | 114,444              | 513,340 | 23.9                 |
| 2008                                                                                                                                                                                           | 484,704              | 106,591(22.0)  | 119,860              | 523,193 | 24.7                 |
| 2009                                                                                                                                                                                           | 486,384              | 110,993 (22.8) | 125,660              | 515,458 | 25.8                 |
| 2010                                                                                                                                                                                           | 499,628              | 119,558 (23.9) | 134,513              | 527,512 | 26.9                 |
| 2011                                                                                                                                                                                           | 497,686              | 121,618(24.4)  | 142,485              | 511,394 | 28.6                 |
| 2012                                                                                                                                                                                           | 4,90,383             | 1,23,093(25.1) | 138,258              | 509,667 | 28.2                 |
| <p>स्रोत : राज्यों/संघ क्षेत्रों के पुलिस विभाग कुल दुर्घटनाओं में आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं ।</p> <p>* दुर्घटनाओं की गंभीरता: प्रति 100 दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या</p> |                      |                |                      |         |                      |



पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क नेटवर्क, पंजीकृत मोटर वाहन और सड़क दुर्घटनाएं

| क्र. सं. | राज्य          | सड़क लंबाई (किमी) 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति के अनुसार | कुल पंजीकृत मोटर वाहन (संख्या) 31 मार्च, 2012 | सड़क दुर्घटनाएं (संख्या) 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति के अनुसार |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.       | अरुणाचल प्रदेश | 14,980                                                  | 1,51,279                                      | 251                                                            |
| 2.       | असम            | 284,232                                                 | 18,07,120                                     | 6,535                                                          |
| 3.       | मणिपुर         | 19,252                                                  | 2,14,523                                      | 771                                                            |
| 4.       | मेघालय         | 12,103                                                  | 1,97,838                                      | 483                                                            |
| 5.       | मिजोरम         | 11,293                                                  | 1,01,830                                      | 110                                                            |
| 6.       | नागालैंड       | 35,189                                                  | 2,91,438                                      | 42                                                             |
| 7.       | सिक्किम        | 5,616                                                   | 43,334                                        | 158                                                            |
| 8.       | त्रिपुरा       | 29,248                                                  | 2,04,218                                      | 888                                                            |



परिशिष्ट -17

श्रेणी द्वारा सड़क नेटवर्क (किमी) : 1951 से 2012

(किमी में)

| सड़क श्रेणी                                                                                                                                                                                                    | 1951                | 1961               | 1971                | 1981                | 1991                 | 2001                 | 2011                 | 2012                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| राष्ट्रीय राजमार्ग                                                                                                                                                                                             | 19,811<br>(4.95)    | 23,798<br>(4.54)   | 23,838<br>(2.61)    | 31,671<br>(2.13)    | 33,650<br>(1.45)     | 57,737<br>(1.71)     | 70,934<br>(1.52)     | 76,818<br>(1.58)     |
| राज्यीय राजमार्ग                                                                                                                                                                                               | ^                   | ^                  | 56,765<br>(6.20)    | 94,359<br>(6.35)    | 1,27,311<br>(5.47)   | 1,32,100<br>(3.92)   | 1,63,898<br>(3.50)   | 1,64,360<br>(3.38)   |
| अन्य पीडब्ल्यूडी सड़कें                                                                                                                                                                                        | 1,73,723<br>(43.44) | 257,125<br>(49.02) | 2,76,833<br>(30.26) | 4,21,895<br>(28.40) | 5,09,435<br>(21.89)  | 7,36,001<br>(21.82)  | 9,98,895<br>(21.36)  | 10,22,287<br>(21.01) |
| ग्रामीण सड़कें                                                                                                                                                                                                 | 2,06,408<br>(51.61) | 197,194<br>(37.60) | 3,54,530<br>(38.75) | 6,28,865<br>(42.34) | 12,60,430<br>(54.15) | 19,72,016<br>(58.46) | 27,49,804<br>(58.80) | 28,38,220<br>(58.33) |
| शहरी सड़कें                                                                                                                                                                                                    | 0<br>(0.00)         | 46,361<br>(8.84)   | 72,120<br>(7.88)    | 123,120<br>(8.29)   | 1,86,799<br>(8.03)   | 2,52,001<br>(7.47)   | 4,11,679<br>(8.80)   | 4,64,294<br>(9.54)   |
| परियोजना सड़कें                                                                                                                                                                                                | 0<br>(0.00)         | 0<br>(0.00)        | 1,30,893<br>(14.31) | 1,85,511<br>(12.49) | 2,09,737<br>(9.01)   | 2,23,665<br>(6.63)   | 2,81,628<br>(6.02)   | 2,99,415<br>(6.15)   |
| जोड़                                                                                                                                                                                                           | <b>3,99,942</b>     | <b>5,24,478</b>    | <b>9,14,979</b>     | <b>14,85,421</b>    | <b>23,27,362</b>     | <b>46,90,342</b>     | <b>46,76,838</b>     | <b>48,65,394</b>     |
| नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक सड़क श्रेणी के कुल लंबाई (किमी) का प्रतिशत दर्शाते हैं ।<br>^ अन्य लोक निर्माण विभाग की सड़कों में शामिल<br>स्रोत : सड़कों से संबंधित कार्य करने वाले 300 माध्यम अभिकरण |                     |                    |                     |                     |                      |                      |                      |                      |



# आरएफडी

(परिणाम –संरचना दस्तावेज)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
के लिए

(2012-13)



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
भारत सरकार



## खंड 1 : विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्य

### विजन

वृहद्, त्वरित संपर्क, गतिशीलता जो सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाए, को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप में सड़क अवसंरचना और विशेष रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना की सतत्, प्रभावी, सुरक्षित और अंतर-राष्ट्रीय रूप से तुलनीय गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए भारत को समर्थ बनाना ।

### मिशन

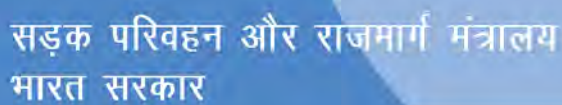
वृहद् सुरक्षा विशेषताओं के साथ यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए अंतर-राष्ट्रीय मानकों की व्यापक सड़कों से देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास । पूर्वोत्तर क्षेत्र, आदि-वासी उप-योजना सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र सहित दूरस्थ और अलग-थलग पड़े क्षेत्रों के लिए वृहद् संपर्क । सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित परिवहन के लिए नीतियां तैयार करना और उनके कार्यान्वयन को सुकर बनाना । दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सड़क परिवहन आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए प्रबंध स्थापित करना । देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य को सुधारना । मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण । सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण ।

### उद्देश्य

- 1 अत्याधुनिक अतिरिक्त क्षमता सृजित करके राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना की योजना, विकास और अनुरक्षण ।
- 2 हितधारियों के बीच अंतर-राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय दक्षता विकास ।
- 3 राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर-दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क, सीमा राज्यों में सामरिक सड़कों और पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम ।
- 4 आदि-वासी उप-योजना सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 लेन मानक के सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।
- 5 राज्यीय सड़कों और अंतर-राज्य संपर्क तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता ।
- 6 देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य के सतत् सुधार के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय विकसित करने का प्रयास ।
- 7 सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित परिवहन ।
- 8 आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना ।
- 9 एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी नीतिगत पहलें शुरू करना ।

### कार्य

- 1 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण ।
- 2 केन्द्रीय सड़क निधि का संचालन ।
- 3 सड़क परिवहन से संबंधित नीतियां तैयार करना, उनका कार्यान्वयन ।



प्रमुख उद्देश्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं, सफलता संकेतक और लक्ष्य

| उद्देश्य                                                                                            | भार   | कार्रवाई                                                                                                                                                                              | सफलता सूचक                                                                                             | यूनिट         | भार  | लक्ष्य/मानदंड मूल्य |            |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------|------------|-------|-------|------|
|                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |               |      | उत्कृष्ट            | बहुत अच्छा | अच्छा | ठीक   | खराब |
| [1] अत्याधुनिक अतिरिक्त क्षमता सृजित करके राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना की योजना, विकास और अनुरक्षण । | 32.00 | [1.1] राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना का विकास                                                                                               | [1.1.1] निर्माण को पूरा करना                                                                           | किमी          | 8.00 | 100%                | 90%        | 80%   | 70%   | 60%  |
|                                                                                                     |       | [1.2] राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यों को सौंपना                                                                                                                  | [1.2.1] सौंपी जाने वाली लंबाई                                                                          | किमी          | 5.12 | 9700                | 8800       | 7750  | 6800  | 5800 |
|                                                                                                     |       | [1.3] राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए साध्यता अध्ययन                                                                                    | [1.3.1] एफएस की लंबाई को पूरा करना                                                                     | किमी          | 1.92 | 11000               | 10000      | 9000  | 8000  | 7000 |
|                                                                                                     |       | [1.4] राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की 3जी के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को संपूर्णता सुनिश्चित करके भूमि अधिग्रहण | [1.4.1] भूमि का कब्जा लेना (हेबटेअर में क्षेत्र)                                                       | हे.           | 4.16 | 11000               | 10000      | 8800  | 7700  | 6600 |
|                                                                                                     |       | [1.5] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि एकत्रित करना                                                                         | [1.5.1] 54 ईसी और कन्स्यूम्प्ट बॉर्डों के अंतर्गत आईबीआर (आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन)                | करोड़ रु. में | 0.96 | 14300               | 13000      | 11440 | 10000 | 8600 |
|                                                                                                     |       | [1.6] राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ द्वारा गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास [2] लेन में चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण, सड़क गुणवत्ता सुधार सहित आदि।          | [1.6.1] लंबाई को पूरा करना                                                                             | किमी          | 5.44 | 3300                | 3000       | 2650  | 2300  | 2000 |
|                                                                                                     |       | [1.7] राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ द्वारा नियमित राष्ट्रीय राजमार्ग (गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) के लिए कार्यों की स्वीकृति                                               | [1.7.1] कार्य की लागत को स्वीकृत किया जाना है                                                          | करोड़ रु. में | 1.60 | 3300                | 3000       | 2650  | 2300  | 2000 |
|                                                                                                     |       | [1.8] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ के पास राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण                                                                       | [1.8.1] आवधिक और सामान्य मरम्मत (गड्ढों, पट्टियों को भरना, पटरियों का सतहीकरण, पुलियाओं की मरम्मत आदि) | करोड़ रु. में | 3.84 | 2120                | 1930       | 1700  | 1500  | 1275 |



प्रमुख उद्देश्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं, सफलता संकेतक और लक्ष्य

| उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                                  | भार   | कारिवाई                                                                                                                                                                                                                                        | सफलता सूचक                                                                                                                                                 | यूनिट  | भार  | समयमानदर्शक मूल्य |            |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|------------|-------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |        |      | उत्कृष्ट          | बहुत अच्छा | अच्छा | ठीक  | खराब |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |        |      | 100%              | 90%        | 80%   | 70%  | 60%  |
| [2] हितधारियों के बीच अंतर-राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय दक्षता विकास।                                                                                                                                                                                   | 3.00  | [2.1] 12वीं योजना के दौरान दक्षता आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए अध्ययन                                                                                                                                                                        | [1.8.2] नमूना आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुरक्षण की गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा का स्तरोत्तर अंकित                                                      | किमी   | 0.96 | 2200              | 2000       | 1760  | 1540 | 1320 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |       | [2.2] नए भर्ती होने वाले/सेवा कालोन राजमार्ग व्यवसायियों के लिए पुनर्चर्चा कार्यक्रम/पाठ्यक्रम                                                                                                                                                 | [2.2.1] प्रशिक्षित किए जाने वाले इंजीनियरों की संख्या                                                                                                      | संख्या | 0.99 | 450               | 400        | 350   | 300  | 260  |
| [3] राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर-दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क, सीमा राज्यों में सामरिक सड़कों और पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज राहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम। | 15.00 | [3.1] पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों का विकास                                                                                                                                                                                                   | [3.1.1] पूरी की जाने वाली लंबाई                                                                                                                            | किमी   | 6.00 | 330               | 300        | 265   | 230  | 200  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |       | [3.2] पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को सीपना                                                                                                                                                  | [3.2.1] सीपी जाने वाली लंबाई                                                                                                                               | किमी   | 6.00 | 2200              | 1980       | 1750  | 1530 | 1320 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |       | [3.3] 876 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर बीओटी (वार्षिकी) पर अरुणाचल प्रदेश में रोडिंग के साथ धीमा साढ़िया घाट पर असम को जोड़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.3 किमी लंबे पुल सहित रास्-37 विस्तार के 25.8 किमी मिमिंग लिंक का 2 लेन में निर्माण | [3.3.1] वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली लंबाई (अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत स्टैंड-अलोन मेगा प्रोजेक्ट)                                              | किमी   | 1.50 | 9                 | 8          | 7     | 6    | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |       | [3.4] 576 करोड़ रु. की लागत पर ईपीसी विधि से म्यांमार में सीतवे पतन को जोड़ने के लिए रास्-54 के विस्तार में मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत मिजोरम में (म्यांमार सीमा तक) कलादान राज्य सड़क में 100 किमी लंबाई का 2 लेन में निर्माण | [3.4.1] वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली लंबाई (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण-क के अंतर्गत स्टैंड-अलोन मेगा प्रोजेक्ट) | किमी   | 1.50 | 33                | 30         | 26    | 23   | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |        |      |                   |            |       |      |      |



# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

## प्रमुख उद्देश्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं, सफलता संकेतक और लक्ष्य

| उद्देश्य                                                                                                                      | भार   | कार्यवाही                                                                                                                                                                                   | सफलता सूचक                                                                                 | यूनिट         | भार  | लक्ष्य/मानक मूल्य |            |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|
|                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |               |      | उत्कृष्ट          | बहुत अच्छा | अच्छा     | ठीक        | खराब       |
| [4] आदि-वासी उपन्यासों सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 लेन मानक के सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। | 14.00 | [4.1] वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सड़क सड़कों का विकास                                                                                                                             | [4.1.1] पूरी की जाने वाली लंबाई                                                            | किमी          | 7.00 | 100%              | 90%        | 80%       | 70%        | 60%        |
|                                                                                                                               |       | [4.2] वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों की सौंपना                                                                                                                         | [4.2.1] सौंपी जाने वाली लंबाई                                                              | किमी          | 7.00 | 1320              | 1200       | 1060      | 930        | 800        |
|                                                                                                                               |       | [4.3] -                                                                                                                                                                                     | [4.3.1] पूरे किए गए कुल किमी                                                               | -             | 0.00 | 1070              | 975        | 850       | 750        | 640        |
| 5) राज्यीय सड़कों और अंतर-राज्य सड़कों तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता।  | 1.00  | [5.1] केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निधि जारी किया जाना                                                                                                                                        | [5.1.1] जारी की जाने वाली निधि                                                             | करोड़ रु. में | 1.00 | 0                 | 0          | 0         | 0          | 0          |
|                                                                                                                               |       | [5.2] सड़क सुरक्षा के लिए अभिनिर्धारित योजना परिवहन के समर्पित 10% के अंतर्गत अति दुर्घटना प्रभावित राज्यों के 100 ब्लॉक स्पोर्ट के लिए उपचारात्मक उपग्रहों का कार्यान्वयन                  | [5.2.1] राष्ट्रीय राजमार्ग पर 100 ब्लॉक स्पोर्ट उनका अभिनिर्धारण और उनका सुधार             | संख्या        | 2.97 | 2600              | 2360       | 2100      | 1820       | 1560       |
| [6] देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य के सतत सुधार के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय विकसित करने का प्रयास।                              | 9.00  | [6.1] क्षेत्रीय भाषाओं और समर्पित और-सुरक्षित सड़कों सहित पिछे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जागरूकता सृजित करने जैसे विभिन्न उपायों द्वारा देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य का सुधार | [6.2.1] प्रसारित की जाने वाली वीडियो फ़्लिक्स की संख्या का प्रबंध                          | संख्या        | 2.97 | 110               | 100        | 90        | 80         | 70         |
|                                                                                                                               |       | [6.3] सड़क सुरक्षा और अनुवीक्षण कार्यान्वयन के लिए संचार रणनीति का विकास                                                                                                                    | [6.3.1] एकल टोल-फ्री नंबर, आपात परिचय, पदनामित अभिगृह्य केंद्रों और एवुलंस कोड आदि का सृजन | तारीख         | 0.99 | 30000             | 27000      | 24000     | 21000      | 18000      |
|                                                                                                                               |       | [6.4] सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना                                                                                                                                                          | [6.4.1] 13 अधिक दुर्घटना प्रभावित राज्यों में सड़क सुरक्षा निधि (आएएएफ) की स्थापना         | तारीख         | 0.99 | 30/11/2012        | 31/12/2012 | 1/01/2013 | 28/02/2013 | 31/03/2013 |
|                                                                                                                               |       | [6.5] यातायात का निर्बंध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ईटीसी आधार पर दिल्ली - चंडीगढ़ की पायलट परियोजनाओं का विस्तार                                                                         | [6.5.1] दिल्ली - मुंबई स्वर्णिम घुंटी में मार्ग के 3 खंडों पर ईटीसी प्रणाली का विस्तार     | किमी          | 1.08 | 30/11/2012        | 31/12/2012 | 1/01/2013 | 28/02/2013 | 31/03/2013 |
|                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |               |      | 1100              | 1000       | 900       | 800        | 700        |



## प्रमुख उद्देश्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं, सफलता संकेतक और लक्ष्य

| उद्देश्य                                                 | भार  | कार्यवाही                                                                                                                | सफलता सूचक                                                                                                                                                             | यूनिट  | भार  | लक्ष्य/मानक मूल्य |                   |              |            |             |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|
|                                                          |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |        |      | उत्कृष्ट<br>100%  | बहुत अच्छा<br>90% | अच्छा<br>80% | ठीक<br>70% | खराब<br>60% |
| [7] सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित परिवहन | 8.00 | [7.1] प्राथमिक परिचर्या और अभियांत परिचर्या सहित एचएमवी चालकों को पुनर्वर्षा प्रशिक्षण प्रदान करना                       | [7.1.1] प्रशिक्षित किए जाने वाले एचएमवी चालकों की संख्या drivers to be trained.                                                                                        | संख्या | 3.00 | 100000            | 90000             | 80000        | 70000      | 60000       |
|                                                          |      | [7.2] राज्य परिवहन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना                                                                    | [7.2.1] आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या                                                                                                           | संख्या | 1.02 | 20                | 18                | 16           | 14         | 12          |
|                                                          |      | [7.3] आदर्श चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना                                                                     | [7.3.1] स्वीकृत किए जाने वाले चालक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या                                                                                                       | संख्या | 0.96 | 5                 | 4                 | 3            | 2          | 1           |
|                                                          |      | [7.4] सड़क सुरक्षा उपस्कर्ओं की संस्वीकृति (करोड़ रु. में)                                                               | [7.4.1] स्वीकृत किए जाने वाले और राज्य को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण जांच उपस्कर्ओं, एचएमवी, केन्ट्रो, डेथ एनालाइजर्स, पोर्टेबल सड़क दुर्घटना रिकॉर्डरों की संख्या | संख्या | 1.02 | 500               | 450               | 400          | 350        | 300         |
|                                                          |      | [7.5] -                                                                                                                  | [7.5.1] प्रसारित की जाने वाली वीडियो फ़्लिकियों और रेडियो फ़्लिकियों की संख्या का प्रबंध                                                                               | --     | 0.00 | --                | --                | --           | --         | --          |
| [8] आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना       | 2.00 | [7.6] -                                                                                                                  | [7.6.1] प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए सांख्यिक और प्रशासनिक उपाय                                                                                                         | --     | 0.00 | --                | --                | --           | --         | --          |
|                                                          |      | [7.7] -                                                                                                                  | [7.7.1] संसद द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाना                                                                                                        | --     | 0.00 | --                | --                | --           | --         | --          |
|                                                          |      | [8.1] आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना करना                                                                | [8.1.1] स्वीकृत किए जाने वाले निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की संख्या                                                                                                  | संख्या | 2.00 | 5                 | 4                 | 3            | 2          | 1           |
|                                                          |      | [9.1] आईटी परियोजनाओं/मोबिलिटी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यो/राज्य परिवहन उपस्कर्ओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना | [9.1.1] स्वीकृत किए जाने वाले राज्य परिवहन उपस्कर्ओं की संख्या                                                                                                         | संख्या | 2.01 | 15                | 14                | 12           | 10         | 9           |
|                                                          |      | [9.2] सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कमियों पर अध्ययन                                                                       | [9.2.1] अध्ययन को पूरा करना                                                                                                                                            | तारीख  | 0.99 | 30/11/2012        | 31/12/2012        | 1/01/2013    | 28/02/2013 | 31/03/2013  |
| * आरम्भिक प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण                    | 3.00 | अनुमोदन के लिए मसौदे को समय से भेजना                                                                                     | समय से भेजना                                                                                                                                                           | तारीख  | 2.0  | 05/03/2012        | 06/03/2012        | 7/03/2012    | 08/03/2012 | 09/03/2012  |
|                                                          |      | परिणामों को समय से भेजना                                                                                                 | समय से भेजना                                                                                                                                                           | तारीख  | 1.0  | 01/05/2012        | 03/05/2012        | 4/05/2012    | 05/05/2012 | 06/05/2012  |
| * प्रशासनिक सुधार                                        | 6.00 | अभ्युक्त के संभावित जोखिम को कम करने के लिए घटाने वाले कार्य नीतियां कार्यान्वित करना                                    | कार्यान्वयन का %                                                                                                                                                       | %      | 2.0  | 100               | 95                | 90           | 85         | 80          |

\* अनिवार्य उद्देश्य (उद्देश्य)



प्रमुख उद्देश्यों के बीच पारस्परिक प्राथमिकताएं, सफलता संकेतक और लक्ष्य

| उद्देश्य                                                                | भार  | कार्यवाई | सफलता सूचक                                                                                                                | यूनिट                                                                                                                   | भार | लक्ष्य/मानदंड मूल्य |            |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|
|                                                                         |      |          |                                                                                                                           |                                                                                                                         |     | उत्कृष्ट            | बहुत अच्छा | अच्छा     | ठीक        | खराब       |
|                                                                         |      |          |                                                                                                                           |                                                                                                                         |     |                     |            |           |            |            |
|                                                                         |      |          | कवर किए जाने वाले अपरेशन का क्षेत्र                                                                                       | %                                                                                                                       | 2.0 | 100                 | 95         | 90        | 85         | 80         |
|                                                                         |      |          | अभिनिर्धारित नवाचारों का कार्यान्वयन                                                                                      | तारीख                                                                                                                   | 2.0 | 05/03/2013          | 06/03/2013 | 7/03/2013 | 08/03/2013 | 09/03/2013 |
| * मंत्रालय/विभाग के आंतरिक दक्षता/प्रतिक्रिया/सेवा प्रदानगी को सुधारना। | 4.00 |          | सेवात्मक का कार्यान्वयन                                                                                                   | %                                                                                                                       | 2.0 | 100                 | 95         | 90        | 85         | 80         |
|                                                                         |      |          |                                                                                                                           | जन शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र ऑडिट                                                                |     | %                   | 100        | 95        | 90         | 85         |
| * वित्तीय जिम्मेदारी संरचना का अनुपालन सुनिश्चित करना।                  | 2.00 |          | सी एंड एजी के लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर एटीएन को समय से भेजना                                                              | %                                                                                                                       | 0.5 | 100                 | 90         | 80        | 70         | 60         |
|                                                                         |      |          |                                                                                                                           | वर्ष के दौरान सी एंड एजी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से देय तारीख (4 महीने) के भीतर भेजे गए एटीएन का % |     | %                   | 100        | 90        | 80         | 70         |
|                                                                         |      |          | पीएससी रिपोर्टों पर एटीआर को पीएससी सचिवालय को समय से भेजना                                                               | %                                                                                                                       | 0.5 | 100                 | 90         | 80        | 70         | 60         |
|                                                                         |      |          | 31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत सी एंड एजी की रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटारा | %                                                                                                                       |     | 100                 | 90         | 80        | 70         | 60         |
|                                                                         |      |          | 31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत पीएससी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटारा                                 | %                                                                                                                       | 0.5 | 100                 | 90         | 80        | 70         | 60         |

\* अनिवार्य उद्देश्य(उद्देश्यों)



संकेतक सूचकों का प्रवृत्ति मूल्य

| उद्देश्य                                                                                                 | कार्रवाई                                                                                                                                                                             | सफलता सूचक                                                                                             | इकाई          | वास्तविक मूल्य | वास्तविक मूल्य | लक्षित मूल्य | परियोजित मूल्य | परियोजित मूल्य |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |               | वि. व. 10/11   | वि. व. 11/12   | वि. व. 12/13 | वि. व. 13/14   | वि. व. 14/15   |
| [1] अभिलेख अतिरिक्त क्षमता सृजित करके राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारिक संरचना की आयोजना, विकास और अनुरक्षण | [1.1] राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के अवसंरचना का विकास                                                                                         | [1.1.1] निर्माण को पूरा करना                                                                           | किमी          | 1780           | 2250           | 2700         | 3000           | 3200           |
|                                                                                                          | [1.2] राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्य को सौंपना                                                                                                                   | [1.2.1] सौंपी जाने वाली लंबाई                                                                          | किमी          | 5058           | 6000           | 6500         | 7500           | 7500           |
|                                                                                                          | [1.3] राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए साध्यता अध्ययन                                                                                   | [1.3.1] एफएस की लंबाई को पूरा करना                                                                     | किमी          | 7300           | 7500           | 10000        | 10000          | 10000          |
|                                                                                                          | [1.4] राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की 30 की तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की संपूर्णता सुनिश्चित करके भूमि अधिग्रहण | [1.4.1] भूमि का कब्जा लेना (हेक्टेयर में क्षेत्र)                                                      | हे.           | 13500          | 10000          | 10000        | 10000          | 10000          |
|                                                                                                          | [1.5] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि एकत्रित करना                                                                        | [1.5.1] 54 ईसी और करमुक्त बॉन्डों के अंतर्गत आईडीबीआर (आंतरिक और बाह्य वजटीय संसाधन)                   | करोड़ रु. में | 2136           | 5000           | 2800         | 7000           | 7000           |
|                                                                                                          | [1.6] राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ द्वारा गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास [2 लेन में चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, सड़क गुणता सुधार सहित आदि]              | [1.6.1] लंबाई को पूरा करना                                                                             | किमी          | 4184           | 4200           | 2500         | 4000           | 4000           |
|                                                                                                          | [1.7] राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ द्वारा निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्ग (गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना) के लिए कार्य की स्वीकृति                                             | [1.7.1] कार्य की लागत को स्वीकृत किया जाना है                                                          | करोड़ रु. में | 5083           | 4000           | 3000         | 4000           | 4000           |
|                                                                                                          | [1.8] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्य लोक निर्माण विभाग/बीआरओ के पास राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण                                                                      | [1.8.1] आवधिक और सामान्य मरम्मत (गड्ढों, पट्टियों को भरना, पटरियों का सतहीकरण, पुलियाओं की मरम्मत आदि) | करोड़ रु. में | --             | --             | 1930         | --             | --             |



# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

## संकेतक सूचकों का प्रवृत्ति मूल्य

| उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                                | कार्रवाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सफरता सूचक                                                                                                                                                                        | इकाई                 | वास्तविक मूल्य<br>चि. व. 10/11 | वास्तविक मूल्य<br>चि. व. 11/12 | लक्षित मूल्य<br>चि. व. 12/13 | परियोजि<br>त मूल्य<br>चि. व. 13/14 | परियोजि<br>त मूल्य<br>चि. व. 14/15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [1.8.2] नमूना आपरा पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनुसूचना की गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा का स्वतंत्र ऑडिट                                                                                 | किमी                 | -                              | -                              | 2000                         | -                                  | -                                  |
| [2] हितधारियों के बीच अंतर-राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय दक्षता विकास।                                                                                                                                                                                 | [2.1] 12वीं योजना के दौरान दक्षता आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए अध्ययन<br>[2.2] नए भर्ती होने वाले/सेवा कालीन राजमार्ग व्यावसायिकों के लिए पुनर्शिक्षण कार्यक्रम                                                                                                                                                                                                                             | [2.1.1] अध्ययन को पूरा करना<br>[2.2.1] प्रशिक्षित किए जाने वाले इंजीनियरों की संख्या                                                                                              | तारीख<br>संख्या      | -                              | -                              | 31/12/2012<br>400            | -                                  | -                                  |
| [3] राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूरदराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क, सीमा राज्यों में सामरिक सड़कों और पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम। | [3.1] पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों का विकास<br>[3.2] पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों को सौंपना<br>[3.3] 876 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर बीओटी (वार्किंग) पर अरुणाचल प्रदेश में रोड्स के साथ धौला सादिया घाट पर असम को जोड़ने हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.3 किमी लंबे पुल सहित राफ-37 विस्तार के 25.8 किमी मिश्रित लिक का 2 लेन में निर्माण | [3.1.1] पूरी की जाने वाली लंबाई<br>[3.2.1] सौंपी जाने वाली लंबाई<br>[3.3.1] वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली लंबाई (अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत स्टैंड-अलोन मेगा प्रोजेक्ट) | किमी<br>किमी<br>किमी | 146<br>9160<br>-               | 200<br>5025<br>-               | 270<br>1800<br>8             | 270<br>-                           | 270<br>-                           |



## संकेतक सूचकों का प्रवृत्ति मूल्य

| उद्देश्य                                                                                                                       | कार्यवाई                                                                                                                                                                                                                                     | सफलता सूचक                                                                                                                                                 | इकाई          | वास्तविक मूल्य<br>वि. व. 10/11 | वास्तविक मूल्य<br>वि. व. 11/12 | लक्षित मूल्य<br>वि. व. 12/13 | परियोजित मूल्य<br>वि. व. 13/14 | परियोजित मूल्य<br>वि. व. 14/15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 4. जन-जातीय उपयोजना सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 2 लेन मानक में सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम       | [3.4] 576 करोड़ रु. की लागत पर ईपीसी विधि से म्यांमार में सीतवे पत्तन को जोड़ने के लिए राग-54 के विस्तार में मन्टी मॉडल ट्रायल ट्रैसपोर्ट के अंतर्गत मिजोरम में (म्यांमार सीमा तक) कलादान राज्य सड़क में 100 किमी लंबाई का 2 लेन में निर्माण | [3.4.1] वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली लंबाई (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण-क के अंतर्गत स्टैंड-अलोन मेगा प्रोजेक्ट) | किमी          | --                             | --                             | 30                           | --                             | --                             |
| [5] राज्यीय सड़कों और अंतर-राज्य संपर्क तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता । | [4.1] वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में संपर्क सड़कों का विकास<br>[4.2] वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों को सौंपना<br>[4.3] -                                                                                          | [4.1.1] पूरी की जाने वाली लंबाई<br>[4.2.1] सौंपी जाने वाली लंबाई<br>[4.3.1] पूरे किए गए कुल किमी                                                           | किमी          | 3256                           | 700                            | 1800                         | 1800                           | 1800                           |
| [5] राज्यीय सड़कों और अंतर-राज्य संपर्क तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता । | [5.1] केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निधि जारी किया जाना                                                                                                                                                                                         | [5.1.1] जारी की जाने वाली निधि                                                                                                                             | करोड़ रु. में | 251                            | 800                            | 800                          | 1200                           | 1200                           |
| [6] देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य के सतत सुधार के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय विकसित करने का प्रयास ।                              | [6.1] सड़क सुरक्षा के लिए अभिवर्धित योजना परिव्यय के समर्पित 10% के अंतर्गत अति दुर्घटना संभावित राज्यों के 100 हलैक स्पांट के लिए उपचारात्मक उपायों का कार्यान्वयन                                                                          | [6.1.1] राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 हलैक स्पांट का अभिवर्धरण और उनका सुधार                                                                                 | संख्या        | 2460                           | 1400                           | 1600                         | 1600                           | 1600                           |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |               | --                             | --                             | 100                          | --                             | --                             |



# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

## संकेतक सूचकों का प्रवृत्ति मूल्य

| उद्देश्य                                                  | कार्यवाही                                                                                                                                                                                     | सफलता सूचक                                                                                       | इकाई   | वास्तविक मूल्य<br>वि. व. 10/11 | वास्तविक मूल्य<br>वि. व. 11/12 | लक्षित मूल्य<br>वि. व. 12/13 | परियोजित मूल्य<br>वि. व. 13/14 | परियोजित मूल्य<br>वि. व. 10/11 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| [7] सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित परिवहन। | [6.2] क्षेत्रीय भाषाओं और समर्पित गैर-सरकारी संगठनों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जागरूकता सृजित करने जैसे विभिन्न उपायों द्वारा देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य का सुधार | [6.2.1] प्रसारित की जाने वाली वीडियो फ़ालकियों और रेडियो फ़ालकियों की संख्या का प्रबंध           | संख्या | -                              | -                              | 27000                        | -                              | -                              |
|                                                           | [6.3] सड़क सुरक्षा और अनुवीक्षण कार्यान्वयन के लिए संचार रणनीति का विकास                                                                                                                      | [6.3.1] एकल टोल-फ्री नंबर, आपत्ती परिचर्या, पदनामित अभिघात केन्द्रों और एंबुलेंस कोड आदि का सुजन | तरीख   | -                              | -                              | 31/12/2012                   | -                              | -                              |
|                                                           | [6.4] सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना                                                                                                                                                            | [6.4.1] 13 अधिक दुर्घटना संभावित राज्यों में सड़क सुरक्षा निधि (आरएसएफ) की स्थापना               | तारीख  | -                              | -                              | 31/12/2012                   | -                              | -                              |
|                                                           | [6.5] खातायात का निर्वोध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ईटीसी आधार पर दिल्ली - चंडीगढ़ की पाबलट परियोजनाओं का विस्तार                                                                           | [6.5.1] दिल्ली - मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के 3 खंडों पर ईटीसी प्रणाली का विस्तार            | किमी   | -                              | -                              | 1000                         | -                              | -                              |
|                                                           | [7.1] प्राथमिक परिचर्या और अभिघात परिचर्या सहित एचएमवी चालकों को पुनरुर्ध्वा प्रशिक्षण प्रदान करना                                                                                            | [7.1.1] प्रशिक्षित किए जाने वाले एचएमवी चालकों की संख्या                                         | संख्या | 0                              | 0                              | 90000                        | 90000                          | 90000                          |
|                                                           | [7.2] राज्य परिवहन कर्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना                                                                                                                                          | [7.2.1] आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या                                     | संख्या | 10                             | 10                             | 14                           | 14                             | 14                             |



## संकेतक सूचकों का प्रवृत्ति मूल्य

| उद्देश्य                                             | कार्यवाई                                                                                                                 | सफलता सूचक                                                                                                                                                             | इकाई   | वास्तविक मूल्य | वास्तविक मूल्य | लक्षित मूल्य | परियोजित मूल्य | परियोजित मूल्य |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |        | वि. व. 10/11   | वि. व. 11/12   | वि. व. 12/13 | वि. व. 13/14   | वि. व. 14/15   |
|                                                      | [7.3] आदर्श चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना                                                                     | [7.3.1] स्वीकृत किए जाने वाले चालक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या                                                                                                       | संख्या | 7              | 2              | 9            | 9              | 9              |
|                                                      | [7.4] सड़क सुरक्षा उपस्कर्ओं की संस्वीकृति (करोड़ रु. में)                                                               | [7.4.1] स्वीकृत किए जाने वाले और राज्यों को प्रदान किए जाने प्रदूषण जांच उपस्कर्ओं, एंबुलेंसों, ब्रेनों, ब्रेथ एनालाइजर्स, पोर्टेबल सड़क दुर्घटना रिकॉर्डरों की संख्या | संख्या | 278            | 400            | 400          | 400            | 400            |
|                                                      | [7.5] -                                                                                                                  | [7.5.1] प्रसारित की जाने वाली कीटियों झलकियों और रेडियो झलकियों की संख्या का प्रबंध                                                                                    | -      | 13459          | 1000           | 900          | 900            | 900            |
|                                                      | [7.6] -                                                                                                                  | [7.6.1] प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए सांख्यिक और प्रशासनिक उपाय                                                                                                         | -      | 31/03/2013     | 31/03/2013     | 31/03/2013   | 30/06/2013     | 30/09/2013     |
|                                                      | [7.7] -                                                                                                                  | [7.7.1] संसद द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाना                                                                                                        | -      | 31/03/2013     | 31/03/2013     | 31/03/2013   | 30/06/2013     | 30/09/2013     |
|                                                      | [8.1] आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना करना                                                                | [8.1.1] स्वीकृत किए जाने वाले निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की संख्या                                                                                                  | संख्या | 7              | 7              | 9            | 9              | 9              |
|                                                      | [9.1] आईटी परियोजनाओं/मोबिलिटी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/राज्य परिवहन उपक्रमों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना | [9.1.1] स्वीकृत किए जाने वाले राज्य परिवहन उपक्रमों की संख्या                                                                                                          | संख्या | 9              | 4              | 14           | 14             | 14             |
| [8] आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना । | [9.2] सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कठिनायियों पर अध्ययन                                                                   | [9.2.1] अध्ययन को पूरा करना                                                                                                                                            | तरीख   | -              | -              | 31/12/2012   | -              | -              |
|                                                      | [9] एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ करने के लिए प्रभावी नीतियां पहले शुरू करना।                                 |                                                                                                                                                                        |        |                |                |              |                |                |



# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

## संकेतक सूचकों का प्रवृत्ति मूल्य

| उद्देश्य                                                                 | कार्यवाई                                                                               | सफलता सूचक                                                                                                              | इकाई  | वार्षिक मूल्य<br>वि. व. 10/11 | वार्षिक मूल्य<br>वि. व. 11/12 | लक्षित मूल्य<br>वि. व. 12/13 | परियोजित मूल्य<br>वि. व. 13/14 | परियोजित मूल्य<br>वि. व. 14/15 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| * आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण                                     | अनुमोदन के लिए मसौदे को समय से भेजना                                                   | समय से भेजना                                                                                                            | तारीख | 05/03/2010                    | 15/04/2011                    | 06/03/2012                   | 05/03/2013                     | 05/03/2014                     |
| * प्रशासनिक सुधार                                                        | परिणामों को समय से भेजना                                                               | समय से भेजना                                                                                                            | तारीख | 27/04/2011                    | --                            | 03/05/2012                   | 10/05/2013                     | 08/05/2014                     |
|                                                                          | अभ्युच्चर के संभावित जोखिम को कम करने के लिए घटाने वाली कार्य नीतियां कार्यान्वित करना | कार्यान्वयन का %                                                                                                        | %     | 70                            | 80                            | 95                           | 100                            | 100                            |
|                                                                          | अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार आइएसओ 9001 कार्यान्वित करना                          | कवर किए जाने वाले आपरेशन का क्षेत्र                                                                                     | %     | 70                            | 80                            | 95                           | 100                            | 100                            |
|                                                                          | प्रमुख नवाचारों का अभिनिर्धारण डिजाइन और कार्यान्वयन                                   | अभिनिर्धारित नवाचारों का कार्यान्वयन                                                                                    | तारीख | 05/03/2010                    | 04/03/2011                    | 03/06/2012                   | 06/03/2013                     | 07/03/2014                     |
| * मंत्रालय विभाग के आंतरिक दक्षता/प्रतिक्रिया/सेवा प्रदानगी को सुधारना । | सेतोत्तम का कार्यान्वयन                                                                | नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन का स्वतंत्र ऑडिट                                                                           | %     | 70                            | 80                            | 95                           | 100                            | 100                            |
|                                                                          |                                                                                        | जन शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र ऑडिट                                                                | %     | 70                            | 80                            | 95                           | 100                            | 100                            |
| * वित्तीय जिम्मेदारी संरचना का अनुपालन सुनिश्चित करना ।                  | सी एंड एजी के लेखापरीक्षा पैराओं पर एटीएन को समय से भेजना                              | वर्ष के दौरान सी एंड एजी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से देय तारीख (4 महीने) के भीतर भेजे गए एटीएन का % | %     | 70                            | 80                            | 90                           | 95                             | 100                            |
|                                                                          | पीएसी रिपोर्टों पर एटीआर को पीएसी सचिवालय को समय से भेजना                              | वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से देय तारीख (6 महीने) के भीतर भेजे गए एटीआर का %      | %     | 70                            | 80                            | 90                           | 95                             | 100                            |

\* अनिवार्य उद्देश्य/उद्देश्यी



## संकेतक सूचकों का प्रवृत्ति मूल्य

| उद्देश्य | कार्यवाही                                                                                                              | सफलता सूचक                             | इकाई | वास्तविक मूल्य | वास्तविक मूल्य | लक्षित मूल्य | परियोजि त मूल्य | परियोजि त मूल्य |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                        |                                        |      | वि. व. 10/11   | वि. व. 11/12   | वि. व. 12/13 | वि. व. 13/14    | वि. व. 14/15    |
|          | 31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत भी एंड एजी की रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरामों पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान | वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का % | %    | 70             | 80             | 90           | 95              | 100             |
|          | 31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान                                | वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का % | %    | 70             | 80             | 90           | 95              | 100             |

\* अनिवार्य उद्देश्य(उद्देश्यी)



## खंड 4:

### सफल संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित नापने की पद्धति

कृपया मूल्य प्रविष्ट करें

#### 1. राष्ट्रीय राजमार्गों की आयोजना, विकास और अनुरक्षण

##### 1.1 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

क्रम सं. 1.1.1 से 1.1.5 – विगत प्रवृत्ति/कार्यान्वनाधीन कार्य की मात्रा की उपलब्धता को देखते हुए निर्माण पूरा किए जाने के लिए नापने योग्य लक्ष्य 3000 किमी दर्शाया गया है। उत्साहित सार्वजनिक भागीदारी को देखते हुए एनएचडीपी के अंतर्गत कार्य सौंपे जाने का नापने योग्य लक्ष्य 8800 किमी दर्शाया गया है। तदनुसार, 10,000 किमी सड़क लंबाई और 10,000 हेक्टेयर एलए के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करने के लक्ष्य को नापने योग्य लक्ष्य के रूप में दर्शाया गया है। आवश्यकता के अनुरूप 10,000 करोड़ रु. के कर मुक्त बांड और 54 ईसी बांड के माध्यम से शेष 3,000 करोड़ रु. सहित कुल 13,000 करोड़ रु. के आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन दर्शाए गए हैं।

##### 1.2 और 1.3 गैर एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 3,000 किमी का नापने योग्य लक्ष्य दर्शाया गया है जो सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए सुदृढीकरण, 2 लेन में चौड़ीकरण, गुणवत्ता सुधार के माध्यम से सुधार किए जाने के लिए है। संस्वीकृति की अधिकतम सीमा 3,000 करोड़ रु. दर्शायी गई है। अनुरक्षण और मरम्मत के अंतर्गत सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए आवधिक और सामान्य मरम्मत के लिए नापने योग्य लक्ष्य 1930 करोड़ रु. दर्शाया गया है। यह नापने योग्य लक्ष्य आयोजना परियोजना 2012-13 के समरूप है। अनुरक्षण और सड़क सुरक्षा के लिए गुणवत्ता की स्वतंत्र लेखा परीक्षा के लिए नापने योग्य लक्ष्य एक पायलट परियोजना के रूप में 2000 किमी दर्शाया गया है।

2. कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 400 नए भर्ती/सेवारत राजमार्ग पेशेवरों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौशल आवश्यकता हेतु आकलन के लिए अध्ययन हेतु नापने योग्य लक्ष्य 2012-13 में पूरा कर लिया जाना दर्शाया गया है।

##### 3. अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम :

3723 किमी लंबाई के लिए परियोजना पहले ही सौंपी जा चुकी है और 31.3.2012 तक 892 किमी लंबाई पूरी की जा चुकी है। सौंपे जाने का नापने योग्य लक्ष्य 1980 किमी है और 2000 करोड़ रु. के जीबीएस के अंतर्गत आयोजना परियोजना के संबंध में 2012-13 के दौरान 300 किमी लंबाई पूरा की जानी है। इस मंत्रालय की एनईआर सड़कों के लिए योजना परियोजना 6042.80 करोड़ रु. के राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के लिए परियोजना के अधिदेशित 10 प्रतिशत से अधिक है। दो बड़ी परियोजनाएं अर्थात् चरण 'ए' और विशेष अरुणाचल पैकेज अर्थात् सीतवे पत्तन सड़क संपर्क सुकर बनाने और 876 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से बीओटी (वार्षिकी) पर अरुणाचल प्रदेश में रोईंग के साथ असम में धौला सादिया घाट को जोड़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.3 किमी लंबे पुल सहित राफ-37 विस्तार के 25.8 किमी मिसिंग लिंक का निर्माण एमटी (मल्टी माडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट) के अंतर्गत ईपीसी विधि पर 576 करोड़ रु. की लागत से मिजोरम में 100 किमी लंबी कलादान सड़क के निर्माण को अति महत्वपूर्ण नापने योग्य संसूचक में दर्शाया गया है।



4. जनजातीय उपयोजना सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में दो लेन मानक में सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम :

31.3.2012 तक 4511 किमी लंबाई का कार्य सौंपा जा चुका है और 1329 किमी लंबाई का कार्य पूरा हो चुका है । वर्ष 2012-13 के दौरान सौंपे जाने के लिए 975 किमी और पूरा किए जाने के लिए 1200 किमी नापने योग्य लक्ष्य रखा गया है । 2012-13 के लिए योजना परिव्यय 1500 करोड़ रु. है ।

5. राज्य सड़कों और अंतरराज्य सड़क संपर्क तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता :

उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद एक माह के भीतर केंद्रीय सड़क निधि जानी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की जांच की जा रही है ।

पतन

6. देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सतत सुधार के लिए प्रभावी नैतिगत उपाय करने का प्रयास :

चिंताजनक सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए 100 अभिज्ञात ब्लैक स्पॉट के लिए नवीन उपाय संसूचक अर्थात् ऐसे ब्लैक स्पॉट जो जहां पर ज्यामिति अथवा दृश्यता के कारण बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं ऐसे अति दुर्घटना संभावित राज्यों के 13 राष्ट्रीय राजमार्ग में 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं उनको उपाय संसूचक के रूप में उपचारात्मक उपाय के लिए कार्यान्वित किया जाना है जिसके लिए योजना परिव्यय का 10 प्रतिशत भाग अर्थात् 6042.80 करोड़ रु. 2012-13 के लिए निर्धारित किए गए हैं । वर्नाकुलर प्रेस/मीडिया तथा समर्पित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सड़क प्रयोक्ताओं के संवेदनशील वर्गों हेतु प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक जागरूकता अभियान पर ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही एचएमवी ड्राइवर जो कुल दुर्घटनाओं के 78 प्रतिशत होते हैं, घातक दुर्घटनाओं के लिए प्राथमिक उपचार और ट्रामा केन्द्र सहित प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है । एक पायलट परियोजना के रूप में इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण के प्रावधान और संचार रणनीति के विकास का प्रावधान भी नए संसूचक में किया गया है ।

7. सड़क नेटवर्क के माध्यम से सक्षम और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था ।



#### खंड 4:

### सफल संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित नापने की पद्धति

तमिलनाडु मॉडल के संबंध में (सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन प्रणाली)-आरएडीएमएस के लिए साफ्टवेयर विकसित किया जाना परिमेय लक्ष्य के रूप में दर्शाता है। सड़क सुरक्षा उपस्करों के लिए प्रावधान पारस्परिक आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए संस्वीकृति का आकलन करोड़ रूपए में तथा उपस्करों का आकलन संख्याओं में किया जाना है।

8. आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों को स्थापित किया जाना :

वर्ष 2012-13 के दौरान 10 आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों को स्थापित किए जाने के एक परिमेय लक्ष्य को पूरा किए जाने की संभावना है।

9. एकीकृत सार्वजनिक प्रणाली के लिए प्रभावी नीतिगत पहलें शुरू किया जाना, सार्वजनिक प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना 14 राज्यीय परिवहन उपक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी सूचनाओं/मोबिलिटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत किया जाना, एक परिमेय लक्ष्य को दर्शाता है।

10. अनिवार्य सूचक:

मंत्रालय की वेबसाइट पर वर्धित सार्वजनिक भागीदारी, सुपुर्दगी के लिए समय सीमा ई-प्रापण, प्रयोक्ता मैत्री, फेसबुक, शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र के अलावा प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत पारदर्शिता और अनुक्रियाशीलता लाए जाने तथा प्रभावी अनुक्रियाशीलता के लिए सुझाव आमंत्रित किया जाना एवं सिटीजन चार्टर, परिमेय सूचक हैं।



## खंड 5: अन्य विभागों से विशेष निष्पादन अपेक्षाएं

1. योजना आयोग: योजना आयोग में मूल्यंकन हेतु भेजे गए प्रस्तावों का समयबद्ध अनुमोदन। परियोजनाओं की वित्त पोषण विधि विशेषतः व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार किए जाने के प्रारंभिक स्तर में बीओटी (पथकर) से बीओटी (वार्षिकी)/ईएफसी में परिवर्तन के संबंध में विण्य लिए जाने के लिए अधिक शक्तियों के प्रतयायोजन की आवश्यकता।
2. वित्त मंत्रालय: ऐसी परियोजनाओं जो सार्वजनिक-भागीदारी (पीपीपी) विधि से कार्यान्वित किए जाने हेतु व्यवहार्य नहीं होती हैं, पर ईपीसी विधि के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता।
3. राज्य सरकारें: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार भूमिअधिग्रहण हेतु समर्पित स्टॉफ उपलब्ध कराके, सार्वजनिक सुविधाओं का समयबद्ध स्थानांतरण की व्यवस्था करके राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कानून एवं व्यवस्था संबंधी सहायता, समर्थन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन हेतु वन विभाग से स्वीकृतियों, राज्य सरकारों द्वारा राज्यीय सहायताकरार और छत्र (अब्रेला) करार पर हस्ताक्षर किया जाना। सड़क सुरक्षा संबंधी उपस्करों, क्रेनों, एंबुलेंसों और आईएडसी केन्द्रों की योजनाओं के निष्पादन में बढ़ावा दिए जाने, सार्वजनिक परिवहन सुदृढीकरण और चालक प्रशिक्षण स्कूलों से संबंधित अपेक्षाओं की समयबद्ध प्राप्ति।
4. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां तीव्रता से प्रदान किया जाना।
5. रेल मंत्रालय: आरओबी के लिए जीएडी अनुमोदन, विस्तृत डिजाइन अनुमोदन, आरओबी का अनुरक्षण, निर्माण के दौरान ट्रेन यातायात का नियंत्रण तथा समयबद्ध सीआरएस अनुमोदन।
6. सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार अभियानों को बढ़ावा देने के लिए डीएवीपी से सहायता।



# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

## मंत्रालय/विभाग का परिणाम/प्रभाव

| मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव                                                                                         | इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए मंत्रालयों के लिए संयुक्त जिम्मेदारी | सफलता संकेतक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इकाई           | वित्तीय वर्ष 2010-11 | वित्तीय वर्ष 2011-12 | वित्तीय वर्ष 2012-13 | वित्तीय वर्ष 2013-14 | वित्तीय वर्ष 2014-15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण                                                                       | एनएचएआई, राज्य लोक निर्माण विभाग और बीआरओ                                     | उच्चतर जीडीपी वृद्धि दर कायम रखने के लिए विद्यमान सड़क क्षमता को पूरा तथा सड़क परिवहन प्रणाली का उन्नयन करने हेतु सुरक्षित और सक्षम नेटवर्क का सृजन। कुल सड़क परिवहन लागत में कमी। ईंधन बचत के कारण विदेशी मुद्रा विलियमन में कमी। सड़क अवसरचना के सर्विस स्तर में सुधारा। पर्यावरण में सुधार और कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कमी। तेजी से चलने वाले एवं धीमी गति से चलने वाले यातायात के विभाजन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बड़े स्तर पर कमी। | किमी           | 6069                 | 6044                 | -                    | -                    | -                    |
| 2 पूर्वोत्तर क्षेत्रों के दूरदराज एवं सदुर क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क                                        | एनएचएआई, राज्य लोक निर्माण विभाग और बीआरओ                                     | -वही-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | किमी           | 146                  | 150                  | -                    | -                    | -                    |
| 3 एसडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क                                                             | राज्य लोक निर्माण विभाग                                                       | -वही-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | किमी           | 251                  | 1078                 | -                    | -                    | -                    |
| 4 सड़क परिवहन से संबंधित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त मंत्रालय, डीएवीपी गठन, नितियों का गठन, कार्यान्वयन | सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त मंत्रालय, डीएवीपी                       | दुर्घटनाओं, चोटों और मौतों की संख्या में कमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संख्या लाख में | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |



## निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

| उद्देश्य                                                                                                                   | भार   | कार्यवर्ष                                                                                                                                                                       | सफलता सूचक                                                                                     | यूनिट         | भार  | सक्य/मातृदंड मूल्य |                   |              |            |             | उपलब्धि |       | निष्पन्न        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|---------|-------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |               |      | उत्कृष्ट<br>100%   | बहुत अच्छा<br>90% | अच्छा<br>80% | ठीक<br>70% | खराब<br>60% |         |       | कच्चे<br>आंकड़े | भरित<br>आंकड़े |
| 1- अत्याधुनिक<br>अतिरिक्त<br>क्षमता सृजित<br>करके राष्ट्रीय<br>राजमार्ग<br>अवसंरचना की<br>योजना,<br>विकास और<br>अनुविकास । | 32.00 | राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना का विकास                                                                                               | निर्माण को पूरा करना                                                                           | किमी          | 8.00 | 3300               | 3000              | 2650         | 2300       | 2000        | 2845    | 85.57 | 6.46            | 2845           |
|                                                                                                                            |       | राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्य को संपन्न                                                                                                                    | सौंपी जाने वाली तस्वीरें                                                                       | किमी          | 5.12 | 9700               | 8800              | 7750         | 6800       | 5800        | 1321    | 0.0   | 0.0             | 1321           |
|                                                                                                                            |       | राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए साधन उपलब्ध                                                                                       | एकसरी की तस्वीरें को पूरा करना                                                                 | किमी          | 1.02 | 11000              | 10000             | 9000         | 8000       | 7000        | 6000    | 0.0   | 0.0             | 6000           |
|                                                                                                                            |       | राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की 3ओं के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को संपूर्णता सुनिश्चित करके भूमि अधिग्रहण | भूमि का कब्जा लेना (लेफ्टओवर में क्षेत्र)                                                      | हे.           | 4.16 | 11000              | 10000             | 8800         | 7700       | 6600        | 7000    | 63.64 | 2.65            | 7000           |
|                                                                                                                            |       | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि एकत्रित करना                                                                          | [1.5-1] 54 इस्ती और कर-मुक्त बॉडी के अंतर्गत आईईडीआर (आंतरिक और वार्षिक बजट के संसाधन)         | करोड़ रु. में | 0.96 | 14300              | 13000             | 11440        | 10000      | 8600        | 2890    | 0.0   | 0.0             | 2890           |
|                                                                                                                            |       | राज्य लोक निर्माण विभाग/विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि एकत्रित करना                                                                         | तस्वीरें को पूरा करना                                                                          | किमी          | 5.44 | 3300               | 3000              | 2650         | 2300       | 2000        | 3841    | 100.0 | 5.44            | 3841           |
|                                                                                                                            |       | राज्य लोक निर्माण विभाग/विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि एकत्रित करना                                                                         | कार्य की लागत को स्वीकृत किया जाना है                                                          | करोड़ रु. में | 1.60 | 3300               | 3000              | 2650         | 2300       | 2000        | 4624    | 100.0 | 1.6             | 4624           |
|                                                                                                                            |       | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए साधन उपलब्ध                                                                                | आवधिक और सामान्य मरम्मत (गड्ढों, पहियों को भरना, पटरियों का सतहीकरण, पुलग्राहों की मरम्मत आदि) | करोड़ रु. में | 3.84 | 2120               | 1930              | 1700         | 1500       | 1275        | 1410    | 66.0  | 2.53            | 1410           |



# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

## निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

| उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                         | भारत  | कार्यवाही                                                                                                                                                                                                                     | सफलता सूचक                                                                                                                            | यूनिट  | भारत | लक्ष्य/मानक मूल्य |              |           |            |            | उपलब्धि    | निष्पन्न    |              | एवपीसी द्वारा सम-अनुमोदित |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |        |      | अंकुर             | वृद्धि अंकुर | अवकाश     | टीक        | खराब       |            | करने आंकड़े | भारित आंकड़े |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |        |      | 100%              | 90%          | 80%       | 70%        | 60%        |            | 0.0         | 0.0          | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | किमी   | 0.96 | 2200              | 2000         | 1760      | 1540       | 1320       | 0          | 0.0         | 0.0          | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | तरीख   | 2.01 | 30/11/2012        | 31/12/2012   | 1/01/2013 | 28/02/2013 | 31/03/2013 | 31/12/2012 | 90.0        | 1.81         | 31/12/2012                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | संख्या | 0.99 | 450               | 400          | 350       | 300        | 260        | 882        | 100.0       | 0.99         | 882                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | किमी   | 6.00 | 330               | 300          | 265       | 230        | 200        | 260        | 78.57       | 4.71         | 260                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | किमी   | 6.00 | 2200              | 1980         | 1750      | 1530       | 1320       | 51         | 0.0         | 0.0          | 51                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | किमी   | 1.50 | 9                 | 8            | 7         | 6          | 5          | 0          | 0.0         | 0.0          | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | किमी   | 1.50 | 33                | 30           | 26        | 23         | 20         | 0          | 0.0         | 0.0          | 0                         |
| उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                         | भारत  | कार्यवाही                                                                                                                                                                                                                     | सफलता सूचक                                                                                                                            | यूनिट  | भारत | अंकुर             | वृद्धि अंकुर | अवकाश     | टीक        | खराब       | उपलब्धि    | करने आंकड़े | भारित आंकड़े | एवपीसी द्वारा सम-अनुमोदित |
| 2. हिमाचल प्रदेश के बीच अंतर-राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ स्थानीय विकास।                                                                                                                                                                          | 3.00  | 12वीं योजना के दौरान दक्षिण आवासीयताओं के मूल्यांकन के लिए अध्ययन                                                                                                                                                             | नमूना आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अंतर-राष्ट्रीय गुणवत्ता और सड़क सुरक्षा का स्तर निर्धारित                                       | किमी   | 0.96 | 2200              | 2000         | 1760      | 1540       | 1320       | 0          | 0.0         | 0.0          | 0                         |
| 3. राज्यों की राजधानियों के साथ, जिन मुख्यधाराओं और दूरदराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क, सीमा राज्यों में सामरिक सड़कों और पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष खर्च सड़क विकास कार्यक्रम। | 15.00 | पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों का विकास                                                                                                                                                                                        | पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष खर्च सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य को सौंपना                                                  | किमी   | 6.00 | 330               | 300          | 265       | 230        | 200        | 260        | 78.57       | 4.71         | 260                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 876 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर बीजेटी (बीजेटी) पर अरुणाचल प्रदेश में रोड के साथ चीन सीमा पर घाट पर अभिन को जोड़ने हुए बरगुन नदी पर 9.3 किमी लंबे पुल सहित राफ-37 ब्रिज के 25.8 किमी मिनिंग ब्रिज का 2 लेन में निर्माण  | वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली लंबाई (अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत स्टैंड-अलोन प्रोजेक्ट)                                      | किमी   | 1.50 | 9                 | 8            | 7         | 6          | 5          | 0          | 0.0         | 0.0          | 0                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 576 करोड़ रु. की लागत पर ईपीसी लिमिटेड से म्यांमार में सीमा पर पुलों के लिए राफ-54 के विस्तार में मल्टी मोडल टॉलर टायपेड के अंतर्गत परियोजना में (म्यांमार सीमा तक) कलादान राज्य सड़क में 100 किमी लंबाई का 2 लेन में निर्माण | वर्ष 2012-13 में पूरी की जाने वाली लंबाई (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष खर्च सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्टैंड-अलोन प्रोजेक्ट) | किमी   | 1.50 | 33                | 30           | 26        | 23         | 20         | 0          | 0.0         | 0.0          | 0                         |



मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

| उद्देश्य                                                                                                                     | भार   | कार्रवाई                                                                                                                                                     | सफलता सूचक                                                         | यूनिट         | भार  | लक्ष्य/मानवर्द्ध मूल्य |            |        |        |        | उपलब्धि | निष्पादन     |              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                              |                                                                    |               |      | उत्कृष्ट               | बहुत अच्छा | अच्छा  | ठीक    | खराब   |         | कच्चे आंकड़े | भारित आंकड़े | एचपीसी द्वारा यथा-अनुमोदित |
|                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                              |                                                                    |               |      | 100%                   | 90%        | 80%    | 70%    | 60%    |         |              |              |                            |
| 4. आदि-वासी उप-योजना सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2 लेन मानक के सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।  | 14.00 | वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में संपर्क सड़कों का विकास                                                                                                  | पूरी की जाने वाली लंबाई                                            | किमी          | 7.00 | 1320                   | 1200       | 1060   | 930    | 800    | 1049    | 79.15        | 5.54         | 1049                       |
| 5. राज्यों सड़कों और अंतर-राज्य संपर्क तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता। | 1.00  | केन्द्रीय सड़क निधि के तहत निधि जारी किया जाना                                                                                                               | सौंपी जाने वाली लंबाई                                              | किमी          | 7.00 | 1070                   | 975        | 850    | 750    | 640    | 543     | 0.0          | 0.0          | 543                        |
| 6. देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य के सतत सुधार के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय विकसित करने का प्रयास।                              | 9.00  | सड़क सुरक्षा के लिए अभिनिर्धारित योजना पर 100 ब्लैक स्पॉट का अंतर्गत अति संभावित दुर्घटना राज्यों के 100 ब्लैक स्पॉट के लिए उपचारात्मक उपायों का कार्यान्वयन | जारी की जाने वाली निधि                                             | करोड़ रु. में | 1.00 | 2500                   | 2350       | 2100   | 1820   | 1550   | 2350    | 89.62        | 0.9          | 2350                       |
|                                                                                                                              |       | सड़क सुरक्षा के लिए अभिनिर्धारित योजना पर 100 ब्लैक स्पॉट का अंतर्गत अति संभावित दुर्घटना राज्यों के 100 ब्लैक स्पॉट के लिए उपचारात्मक उपायों का कार्यान्वयन | राष्ट्रीय राजमार्ग पर 100 ब्लैक स्पॉट का अभिनिर्धारण और उनका सुधार | संख्या        | 2.97 | 110                    | 100        | 90     | 80     | 70     | 75000   | 100.0        | 2.97         | 0                          |
|                                                                                                                              |       | वर्तमान और एनजीओ समाहित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से                                                                                                    | प्रसारित किए जाने वाले वीडियो रेडियो स्पॉट्स                       | अनुक          | 2.97 | 30,000                 | 27,000     | 24,000 | 21,000 | 18,000 | 75,000  | 100.0        | 297          | 0                          |



# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

## मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

| उद्देश्य                                                | भार  | कार्यवाई                                                                                                       | सफलता सूचक                                                                                                                                                    | यूनिट  | भार  | संख्या/मानक मूल्य |            |            |            |            |  | उपलब्धि | निष्पादन     |                            |
|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--|---------|--------------|----------------------------|
|                                                         |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               |        |      | उत्कृष्ट          | बहुत अच्छा | अच्छा      | ठीक        | खराब       |  |         | कच्चे आंकड़े | एचपीसी द्वारा यथा-अनुमोदित |
|                                                         |      | सड़क सुरक्षा और अनुवीक्षण कार्यान्वयन के लिए संघार रणनीति का विकास                                             | एकल टोल-फ्री नंबर, आपत्ती परिचर्या, पदनामित अभिचार केन्द्रों और एबुलेस कोड आदि का सृजन                                                                        | तारीख  | 0.54 | 30/11/2012        | 31/12/2012 | 1/01/2013  | 28/02/2013 | 31/03/2013 |  |         | अनुपलब्ध     | अनुपलब्ध                   |
|                                                         |      |                                                                                                                | सड़क दुर्घटनाओं संबंधी आंकड़ों के एकत्रण के लिए आरएडमएस सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन                                                                              | तारीख  | 0.45 | 31/12/2012        | 30/01/2013 | 28/02/2013 | 15/03/2013 | 31/03/2013 |  |         | अनुपलब्ध     | अनुपलब्ध                   |
|                                                         |      | सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना                                                                                   | 13 अधिक दुर्घटना सम्भावित राज्यों में सड़क सुरक्षा निधि (आरएसएफ) की स्थापना                                                                                   | तारीख  | 0.99 | 30/11/2012        | 31/12/2012 | 1/01/2013  | 28/02/2013 | 31/03/2013 |  |         | 90.0         | 0.89                       |
|                                                         |      | यातायात का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ईटीएमो आधार पर दिल्ली - चंडीगढ़ की पावलट परियोजनाओं का विस्तार | दिल्ली - मुंबई स्वर्णिम वलुथुन मार्ग के 3 खंडों पर ईटीएमो प्रणाली का विस्तार                                                                                  | किमी   | 1.08 | 1100              | 1000       | 900        | 800        | 700        |  | 1000    | 90.0         | 0.97                       |
| 7 सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी और सुरक्षित परिवहन। | 6.00 | प्राथमिक परिचर्या और अभिचार परिचर्या सहित एचएमवी चालकों को पुनर्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना                    | प्रशिक्षित किए जाने वाले एचएमवी चालकों की संख्या                                                                                                              | संख्या | 3.00 | 100000            | 90000      | 80000      | 70000      | 60000      |  | 16000   | 0.0          | 0.0                        |
|                                                         |      | राज्य परिवहन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना                                                                | आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या                                                                                                          | संख्या | 1.02 | 20                | 18         | 16         | 14         | 12         |  | 20      | 100.0        | 1.02                       |
|                                                         |      | आदर्श चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना                                                                 | स्वीकृत किए जाने वाले चालक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या                                                                                                      | संख्या | 0.96 | 5                 | 4          | 3          | 2          | 1          |  |         | अनुपलब्ध     | अनुपलब्ध                   |
|                                                         |      | सड़क सुरक्षा उपस्कर्षों की संस्वीकृति (करोड़ रु. में)                                                          | स्वीकृत किए जाने वाले और राज्यों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण जांच उपस्कर्षों, एबुलेसों, केनों, जेय एनालाइजर्स, मोटोबल सड़क दुर्घटना रिकॉर्डों की संख्या | संख्या | 1.02 | 500               | 450        | 400        | 350        | 300        |  | 170     | 0.0          | 0.0                        |
|                                                         |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                               | संख्या |      |                   |            |            |            |            |  |         |              |                            |



मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

| उद्देश्य                                                                                 | भार  | कार्यवाई                                                                                                    | सफलता सूचक                                                    | यूनिट  | भार  | तथ्यमानदंड मूल्य |            |           |            |            |            | उपलब्धि |      | निष्पादन     |              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------|--------------|--------------|----------------------------|
|                                                                                          |      |                                                                                                             |                                                               |        |      | उत्कृष्ट         | बहुत अच्छा | अच्छा     | ठीक        | खराब       |            |         |      | कच्चे आंकड़े | भारित आंकड़े | एचपीसी द्वारा यथा-अनुमोदित |
| 8. आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना।       | 2.00 | आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की स्थापना करना                                                         | स्वीकृत किए जाने वाले निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्रों की संख्या | संख्या | 2.00 | 5                | 4          | 3         | 2          | 1          | 9          | 100.0   | 2.0  | 9            |              |                            |
| 9. एकिकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी नीतिगत पहलें शुरू करना। | 3.00 | आईटी परिवर्तन और निरीक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना | स्वीकृत किए जाने वाले राज्य परिवहन उपक्रमों की संख्या         | संख्या | 2.01 | 15               | 14         | 12        | 10         | 9          | 3          | 0.0     | 0.0  | 3            |              |                            |
| * आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण                                                     | 3.00 | सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की कार्यों पर अद्ययन                                                               | [9.2.1] अध्ययन को पूरा करना                                   | तारीख  | 0.99 | 30/11/2012       | 31/12/2012 | 1/01/2013 | 28/02/2013 | 31/03/2013 | 31/12/2012 | 90.0    | 0.89 |              |              | 31/12/2012                 |
|                                                                                          |      | अनुमोदन के लिए मसौदे को समय से भेजना                                                                        | समय से भेजना                                                  | तारीख  | 2.0  | 05/03/2012       | 06/03/2012 | 7/03/2012 | 08/03/2012 | 09/03/2012 | 05/03/2012 | 100.0   | 2.0  |              |              | 05/03/2012                 |
|                                                                                          |      | परिणामों को समय से भेजना                                                                                    | समय से भेजना                                                  | तारीख  | 1.0  | 01/05/2012       | 03/05/2012 | 4/05/2012 | 05/05/2012 | 06/05/2012 | 30/04/2012 | 100.0   | 1.0  |              |              | 01/05/2013                 |
| * प्रशासनिक सुधार                                                                        | 6.00 | अष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए घटाने वाली कार्य नीतियां कार्यान्वित करना                       | कार्यान्वयन का %                                              | %      | 2.0  | 100              | 95         | 90        | 85         | 80         | 90         | 80.0    | 1.6  | 95           |              |                            |

\* अनिवार्य उद्देश्य(उद्देश्य)



# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

## मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

| उद्देश्य                                                                | भार  | कार्रवाई                                                                                                             | सफलता सूचक                                                                                                              | यूनिट | भार | लक्ष्य/मानक मूल्य |            |           |            |            | उपलब्धि    |      | निष्पत्ति    |             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|
|                                                                         |      |                                                                                                                      |                                                                                                                         |       |     | उत्कृष्ट          | बहुत अच्छा | अच्छा     | ठीक        | खराब       |            |      | कट से आंकड़े | अभित आंकड़े | एचएसटी द्वारा वया- अनुमोदित |
|                                                                         |      |                                                                                                                      |                                                                                                                         |       |     |                   |            |           |            |            |            |      |              |             |                             |
|                                                                         |      | अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार अद्यतन 9001 नवीकृत करना                                                            | कवर किए जाने वाले आगरेसन का क्षेत्र                                                                                     | %     | 2.0 | 100               | 95         | 90        | 85         | 80         | 0          | 0.0  | 0.0          | 95          |                             |
|                                                                         |      | प्रमुख नवाचरो का अभिनिर्धारण, डिजाइन और कार्यान्वयन                                                                  | अभिनिर्धारित नवाचरो का कार्यान्वयन                                                                                      | तारीख | 2.0 | 05/03/2013        | 06/03/2013 | 7/03/2013 | 08/03/2013 | 09/03/2013 | 02/05/2013 | 90.0 | 1.8          | 02/05/2013  |                             |
| * मंचालय/विभाग के आंतरिक दक्षता/प्रतिप्रक्रिया/सेवा प्रदानगी को सुधारना | 4.00 | सेवा/संचालन का कार्यान्वयन                                                                                           | नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन का स्तर                                                                                    | %     | 2.0 | 100               | 95         | 90        | 85         | 80         | 74         | 74.0 | 1.48         | 95          |                             |
|                                                                         |      |                                                                                                                      | जन शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन का स्तर                                                                         | %     | 2.0 | 100               | 95         | 90        | 85         | 80         | 51.20      | 0.0  | 0.0          | 95          |                             |
| * वित्तीय निम्नोद्योगी संरचना का अनुमान सुनिश्चित करना ।                | 2.00 | सी एवं एजी के लेखापरीक्षा प्रणाली पर एटीएम को समय से अद्यतन                                                          | वर्ष के दौरान सी एवं एजी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से देय तारीख (4 महीने) के भीतर भेजे गए एटीएम का % | %     | 0.5 | 100               | 90         | 80        | 70         | 60         | 80         | 80.0 | 0.4          | 90          |                             |
|                                                                         |      | पीएलसी रिपोर्ट पर एटीएम को पीएलसी सेवालय को समय से अद्यतन                                                            | वर्ष के दौरान पीएलसी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से देय तारीख (6 महीने) के भीतर भेजे गए एटीएम का %     | %     | 0.5 | 100               | 90         | 80        | 70         | 60         | 80         | 80.0 | 0.4          | 90          |                             |
|                                                                         |      | 31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत सी एवं एजी की रिपोर्टों के लेखापरीक्षा प्रणाली पर लेखित एटीएम का शीट निपटान | वर्ष के दौरान निपटारा गए शेष एटीएम का %                                                                                 | %     | 0.5 | 100               | 90         | 80        | 70         | 60         | 90         | 90.0 | 0.45         | 90          |                             |
|                                                                         |      | 31.3.2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत पीएलसी रिपोर्टों पर लेखित एटीएम का शीट निपटान                               | वर्ष के दौरान निपटारा गए शेष एटीएम का %                                                                                 | %     | 0.5 | 100               | 90         | 80        | 70         | 60         | 90         | 90.0 | 0.45         | 90          |                             |

\* अनिवार्य उद्देश्य/उद्देश्य

कुल निष्पत्ति संख्या : 54.31  
पीएमडी निष्पत्ति: 54.4



सड़क सुरक्षा लोगों जासी किया जाना



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
भारत सरकार  
नई दिल्ली  
परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

[www.morth.nic.in](http://www.morth.nic.in)